जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांकः **दिनांक**

विज्ञप्ति

श्री पूरणमल, अधिकृत व्यक्ति, सी– 179, भूरा पटेल मार्ग, आयोध्या नगर– वेस्ट, जयपुर को डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी/ कर्मचारीगण के लिये छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटित की जानी विचाराधीन है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो 15 दिवस में प्रस्तुत करें, अन्यथा प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)
जयपुर विकास प्राधिकरण

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.08.18 11:27:17 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर 302004

दूरभाष ६91.0141.2570122इ रू ईपीबीएक्स ... एक्सटेंशनरू ६7019इरू फैक्स .. 91.141.2574555

ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref No.: 17190679

eSign 1.0

कार्यालय की प्रति **Office Copy**	**जयपुर विकास प्राधिकरण** **Jaipur Development Authority** **नागरिक सेवा केन्द्र** **Citizen Care Center**	नागरिक सेवा केन्द्र पंजीयन क्रमांक **CCC Registration No.** **418185**

पदाभिहित अधिकारी का नाम :
Name of the designated officer: AC (LPC)
कार्यालय :
Office AC(LPC)
प्राप्ति दिनांक :
Receipt Date : 02/04/2025
नियत दिनांक :
Due Date : 11/08/2025

Applicant Details

आवेदक का नाम और पता
Name and address of the applicant SH. DR.AMBEDKAR ANU. JATI ADH. KAR. ASOSI. PURAN MAL
238 SURYA NAGAR GOPAL PURA BY PASS, ,
Mobile No. 9414457107

सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया है
Name of the service for which the application is given Institutional Land Allotment (CCC-14)

अतिरिक्त संलग्न दस्तावेज की सूची / टिप्पणी
List of Additional Documents / Remark

Property Details

Service No.

विकासकर्ता का प्रकार / विकासकर्ता का नाम
Developer Type / Developer Name /

योजना का नाम / योजना की लोकेशन
Scheme Name / Location /

भूखण्ड का प्रकार Type of Plot	भूखण्ड संख्या Plot No.	भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग गज) / (वर्ग मीटर) Plot Area (Sq.Yds.)/(Sq.Mtr.) /
चालान सं. Challan No. DD NO - 260238	राशि (रूपयों में) Fee In Rs. 5000	चालान दिनांक Challan Date 25/03/2025

Document(s) enclosed

अतिरिक्त संलग्न दस्तावेज की सूची
List of addtional document(s) DD RS. 5000/- AND OTHER DOCUMENT

दस्तावेजों की संख्या
Total Documents

पृष्ठों की संख्या
No. of Pages

नोटः- सम्बन्धित कार्यालय द्वारा की गई टिप्पणी जो कि नागरिक सेवा केन्द्र को राज काज के माध्यम से भेजी जानी हैः-

Deputy Commissioner(Citizen Care Center)

उपायुक्त (नागरिक सेवा केन्द्र)

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank of India

जारी करने वा[illegible]
Issuing Branch JAIPUR MURLIPURA
कोड क्र /CODE No: 31721
Tel No.

बैंकर्स चैक
BANKERS CHEQUE

Key: WIFHIV
Sr. No: 199338

2	5	0	3	2	0	2	5
D	D	M	M	Y	Y	Y	Y

UTILITY FORMS PVT. LTD / DELHI / CTS-2010

PAY SECRETARY,JAIPUR DEVELOPMENT A UTHORITY********************* को या उनके आदेश पर OR ORDER

रुपये **RUPEES** Five Thousand Only

अदा करें ₹ 5000.00

IOI 000562260238 Key WIFHIV Sr. No. 199338 AMOUNT BELOW 5001(0/4)

कृते भारतीय स्टेट बैंक
For STATE BANK OF INDIA

Name of Applicant DR AMBEDKAR ANU. JATI ADH.KAR.

Varunsinghal
PF-8208719

अहस्तांतरणीय / NOT TRANSFERABLE

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
AUTHORISED SIGNATORY

शाखा प्रबंधक
BRANCH MANAGER

9 8 7 6 5 4 3 2 1

कम्प्यूटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध
VALID IFOR 3 MONTHS ONLY

₹1,50,000/- एवं अधिक के लिखत दो अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 1,50,000/- & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

⑈260238⑈ 000002000⑆ 000562⑈ 16

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया	शीशराम चावला	पूरण मल	विनोद कुमार गहनोलिया
I.A.S. (Retd.)	GM, SC/ST FDC Raj.	Joint Registrar, Cooperative Deptt. (Retd.)	Chief Manager, SBI (Retd.)
अध्यक्ष	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	महासचिव	कोषाध्यक्ष
9460440204	9414460787	9414457107	9414149816

सलाहकार मण्डल

प्रो. श्यामलाल
पूर्व कुलपति
9887194929

श्री कन्हैया लाल बैरवा
IPS (Retd.)
9829200090

डॉ. बी. एल. आर्य
IAS (Retd.)
9413340799

श्री आर. पी. सिंह
IPS (Retd.)
9413305444

श्री गुरुचरण राय
IPS (Retd.)
9414067498

श्री बी. एल. नवल
IAS (Retd.)
9829015580

श्री सत्यवीर सिंह
IPS (Retd.)
7728888830

श्री प्रेमचन्द बैरवाल
IAS (Retd.)
7340662219

श्री मदन गोपाल मेघवाल
IPS (Retd.)
9413364755

डॉ. महेद्र कुमार आनंद
Advocate
9001298018

क्रमांक : एफ/अजाक/12/2025/3040 दिनांक : 20.03..2025

DAR/DCLPC 2/4/25

माननीय आयुक्त महोदय,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषय :– डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी ऐसोसिएशन, जयपुर, राजस्थान को छात्राओं के लिए छात्रावास हेतु जमीन आवंटन करने के संबंध में।

महोदय जी,

निवेदन है कि डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी ऐसोसिएशन, जयपुर, राजस्थान, अनुसूचित जाति के सरकारी कार्यरत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों का सन् 2016 में पजीकृत संगठन हैं। जिसका मुख्य कार्यालय जयपुर में हैं। हमारे संगठन को आयकर विभाग द्वारा 85 जी में आयकर में छुट प्राप्त हैं। हमारा संगठन अनुसूचित जाति के लोगो के शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए कार्यरत हैं।

इस संबंध में निवेदन है कि जयपुर शहर में प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों की अनुसूचित जाति समुदाय की छात्राऐं शहर के विभिन्न स्कूलों/कॉलेजो एवं विश्व विद्यालयों में अध्ययनरत है, लेकिन छात्राओं के लिए आवास (छात्रावास) की पर्याप्त एवं उपर्युक्त आवास (छात्रावास) की सुविधा उपलब्ध नही है। जिससे छात्राओं को उनके अध्ययन में काफी कठिनाईयां/अवरोध उत्पन्न होता है। अतः छात्रावास निर्माण हेतु उचित भूखण्ड की आवश्यकता हैं।

अतः इस पत्र के साथ संस्था के लिए अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए छात्रावास निमार्ण हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण से भूखण्ड आवंटन कराने वास्ते जयपुर विकास प्राधिकरण के निर्धारित प्रपत्र में वांछित सूचनाऐं मय दस्तावेजों के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

सादर।

भवदीय

संलग्न – उपरोक्तानुसार
बैंकर चैक नं. 260238 दि. 25/3/2025
रु 5000=00

श्रीराम चोरड़िया
IAS (Retd.)
अध्यक्ष, अजाक

परिशिष्ट– '1'

नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक/ चैरिटेबल एवं सामाजिक संस्थाओं को रियायती दर पर भूमि आवंटन बाबत्। निर्धारित मापदण्डों की चैक लिस्ट।

क्र.सं.	पार्ट (अ) सामान्य सूचनाएं	
1	आवेदक का नाम/ पता	डा. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसियेशन सी-74 मीरा पटेल मार्ग अयोध्या नगर गांधी पथ वेस्ट जयपुर 302021-
2	शहर/ कस्बे/ कॉलोनी का नाम जहां भूमि चाही गई है।	
3	चाही गई भूमि का विवरण (राजस्व ग्राम/ कॉलोनी का नाम खसरा नम्बर, क्षेत्रफल आदि)	
4	आवेदनकर्ता संस्था के रजिस्ट्रेशन की दिनांक व अन्य विवरण	350/जयपुर दिनांक 20-06-2017
5.1	संस्था का गत तीन वर्षों का आय-व्यय विवरण तथा गतिविधियों का लेखा जोखा	संलग्न वर्ष 2020-2021 2021-2022 2022-2023
5.2	संबंधित आवेदक संस्था द्वारा किये गये/ किये जा रहे कार्यों का विवरण	संलग्न
6.1	चाही गई भूमि के उपयोग बाबत् परियोजना रिपोर्ट, निर्माण लागत व आर्थिक संसाधनों का विवरण।	संलग्न

पार्ट (ब) रियायती दर पर आवंटन के औचित्य की सूचनाएं

6.2	परियोजना का लाभ समाज के किन वर्गों को व क्या लाभ मिलेगा।	संलग्न
6.3	आवंटित किये जा रहे क्षेत्रफल का औचित्य एवं इस बाबत् नोर्मस	संलग्न
7	क्या संस्था को पूर्व में कभी इसी शहर में भूमि आवंटित की गई थी। यदि हां तो निकाय जिसके द्वारा आवंटन किया गया का नाम, आवंटन की दिनांक व क्षेत्रफल।	नहीं
8	संबंधित निकाय द्वारा किस दर पर संस्था को आवंटन का निर्णय लिया गया।	N.A.

9	आवेदक संस्था द्वारा आवंटन के पेटे कितने प्रतिशत व कितनी राशि किस दिनांक को संस्था में जमा करवाई गई।	N.A.
10	चाही गई विकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	आरक्षित दर की नियमानुसार [illegible]
11	चाही गई अविकसित भूमि की वर्तमान आरक्षित दर।	निशुल्क/आरक्षित दर
12	चाही गई भूमि नगर निगम/ नगर परिषद/ स्थानीय निकाय सीमा के अन्दर स्थित है अथवा बाहर।	सीमा के अंदर
13	आवेदक संस्था के पदाधिकारियों/ सदस्यों/ प्रमोटर्स का विवरण तथा इनके साख संबंधी विवरण।	संलग्न
13.1	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार की किसी योजनान्तर्गत कार्य किया जा रहा हो तो उसका विवरण।	NA
13.2	यदि आवेदक संस्था द्वारा भारत सरकार/ राज्य सरकार/ अन्य वित्तीय संस्था से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त की जा रही है तो उसका विवरण।	NO -
14	आवेदक संस्था को भूमि आवंटित करने का औचित्य।	संलग्न
15	आवेदक संस्था को आरक्षित दर से कम दर पर भूमि आवंटित किये जाने का औचित्य एवं कितनी रियायत दिया जाना अपेक्षित है एवं कार्यों के संबंध में विवरण।	—
16	यदि आवेदक संस्था प्रीमियर संस्था की श्रेणी में आती है तो संस्था द्वारा किये जाने वाली विनिवेश राशि का विवरण।	—
17	आवंटन करने वाले निकाय का अभिमत।	—
18	क्या प्रश्नगत भूमि बाबत् वर्तमान में किसी न्यायालय में कोई प्रकरण विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्रभावी है।	NO —
19	अन्य विवरण।	NO

प्रपत्र- अ

चेरिटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/ संगठनों/ सोसायटी को आवंटन हेतु

प्रार्थना-पत्र

1.	संस्था/ संगठन का नाम	डा० अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसियेशन (AJAK) राज०
2.	प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)	—do— " —
3.	डाक पता, टेलिफोन नं. मोबाईल नं. व मेल आई.डी.	सी-174, सूरज पटेल मार्ग अमोदमानगर गांधी पथ वेस्ट, जयपुर 302021
4.	भूमि आवंटन का उद्देश्य	सामाजिक/ शैक्षणिक कार्य
5.	चाहे गये क्षेत्रफल का विवरण (यदि कोई हो तो)	5000 वर्ग मीटर
6.	भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	5000 वर्ग मीटर
7.	प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज को होने वाले लाभों बाबत् संक्षिप्त विवरण)	संलग्न
8.	संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण।	N.A.
9.	संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज	
(i)	रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र	संलग्न
(ii)	बाईलॉज/ रेग्युलेशन्स	संलग्न
(iii)	गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेन्स शीट	संलग्न
(iv)	संस्थान का भूमि आवंटन के लिए लिया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो।	संलग्न
(v)	प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनने वाले प्रोजेक्ट बाबत् मुख्य विवरण)	संलग्न
(vi)	रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./ पे-ऑर्डर जो सम्बन्धित शहरी निकाय के सचिव/ अधिशाषी अधिकारी/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो।	संलग्न :- बैंकर चैक नं० 260238 दिनांक 25.3.2025 रु० 5000/-

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी नहीं छुपाया गया है। संस्थान/ कम्पनी/ आवेदनकर्ता आवंटन की शर्तों/ निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णत: पालन करेगा। शर्तों की अवहेलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय **(Urban Body)** आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा।

दिनांक :...............

स्थान :..............

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

महा सचिव

नाम व पद

9414457107

स्व- घोषणा पत्र

मैं/ हम......पूरण मल......पुत्र/ ~~पत्नी/ पुत्री~~ श्री......दुर्गा राम......
उम्र......74 वर्ष......वर्ष, निवासी......238 सूर्यनगर गोपालपुरा बाईपास......जिला......जयपुर......
राजस्थान घोषणा करता हूँ/ ~~करती~~ हूँ कि आवेदन पत्र में वर्णित समस्त सूचनाएं तथा आवेदन पत्र के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज मेरी निजी जानकारी और विश्वास में सही एवं दुरुस्त है। इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मुझे इस बात का ज्ञान है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में झूंठी/ असत्य पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/ रहूंगी एवं मुझे इसके लिए विधि अनुसार दण्ड का सामान करना पड़ेगा तथा जो भी लाभ मेरे द्वारा प्राप्त किये गये हैं उन्हें पूर्ण रूप से वापिस ले लिया जाएगा।

दिनांक :

स्थान : JAIPUR

आवेदक के हस्ताक्षर

(POORAN MAL
Mob. No. 9414457107

राजस्थान सरकार

सत्यमेव जयते

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 350 जयपुर/2016-17

यह प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान जिला-जयपुर का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक 06 माह जुलाई सन् दो हजार सोलह को जयपुर में किया गया।

रजिस्ट्रार सरकार जयपुर

(अतिरिक्त रजिस्ट्रार संस्थाएं)
रजिस्ट्रार संस्थाएं (जयपुर)

मुद्रक : राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर फोन : 2751417

Scanned with OKEN Scanne

कार्यालय रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

जयपुर, दिनांक........................

क्रमांक फा/रजि/संस्थायें/ 1880
6/7/16

अध्यक्ष/मन्त्री,

डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी
कर्मचारी एसोसिएशन राजस्थान
....

विषय :-राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण के क्रम में।

आपकी संस्था का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक....350..../जयपुर....2016-17.... दिनांक....6/7/16....संलग्न है। जिसकी प्राप्ति की सूचना भिजवाने का कष्ट करें।

यहां आपका ध्यान उक्त अधिनियम की धारा 4 व 4(क) की सभा के 14 दिवस में निम्नलिखित सूचनायें भिजवाना आवश्यक है :-

1. संस्था में मामलों का प्रबन्ध जिनको सौंपा गया है, उक्त परिषद् समिति या अन्य शाषी निकाय के शाषकों संचालकों, न्यासियों या सदस्यों के नाम, पते और पेशे की सूचना मय पद सहित।

2. एक विवरण जिसमें उपरोक्त सदस्यों के नाम आदि उस वर्ष, जिस वर्ष की सूची है के दौरान हुए समस्त परिवर्तनों को दिखाया गया हो।

3. संस्था के नियमों और विनियमों का एक तातारीख सही प्रतिलिपि जो शाषी निकाय के शासकों, न्यासी या सदस्यों में से कम से कम तीन द्वारा सही प्रमाणित की गई हो।

   इसके अलावा संस्था के नियमों और विनियमों में किये गये प्रत्येक परिवर्तन की प्रतिलिपि जो उपरोक्त प्रतियां सही प्रमाणित की हुई हो, ऐसा परिवर्तन करने की तारीख से 15 दिवस के अन्दर-अन्दर इस कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए।

4. संस्था द्वारा प्रस्तुत विधान नियमावली, दस्तावेजों, सूचनाओं में यदि कोई गलत, मिथ्या सूचना अंकित किया जाना प्रमाणित होता है अथवा यदि संस्था द्वारा जांच/निरीक्षण कराये जाने से इन्कार किया जाता है तो रजिस्ट्रार को संशोधित विधान नियमावली, चुनाव सूचना इत्यादि तथा पंजीयन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

   यदि संस्था द्वारा धारा 4 व 4(क) की सूचनायें प्रति वर्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है तो संस्था प्रथम दोष सिद्ध पर 500/- जुर्माना तथा दोष सिद्धी जारी रहने पर 50/- प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने के दण्ड की भागीदारी होगी।

Scanned with OKEN Scanne

आपका ध्यान इस अधिनियम की धारा 4 (ख) की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार उपरोक्त प्रावधानों का पालन करने में विफल रहने वाला अपराध के सिद्ध होने की दशा में और ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डित होगा जो प्रत्येक दिन के लिए जिसमें कि ऐसे अपराध के लिए प्रथम अपराध सिद्ध के पश्चात् चूक जारी रहती है, 50/- से अधिक नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति धारा के अधीन प्रस्तुत की गई सूची में धारा 4 (क) के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गये विवरण-पत्र या नियमों और विनियमों की या उनके किये गये परिवर्तनों की प्रतिलिपि में जानबूझ कर कोई मिथ्या प्रविष्ट या लेख करता या करवाता है तो वह सिद्धी पर ऐसे अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा, जो 2000/- रुपये तक का हो सकता है तथा मिथ्या प्रविष्टि प्रमाणित होने पर ऐसे नियमों, विनियमों व पदाधिकारियों की सूची निरस्त करने का रजिस्ट्रार को पूर्ण अधिकार होगा।

नोट :- इस कार्यालय में भविष्य में किसी भी प्रमार का पत्र-व्यवहार करते समय संस्था रजिस्ट्रेशन क्रमांक व दिनांक अवश्य अंकित करें।

संलग्न : मूल प्रमाण-पत्र एवं विधान द
विधान व नामावली।

रजिस्ट्रार संस्थायें,
जयपुर।

Scanned with OKEN Scanne

प्रावधानों का
... जिसमें

301
04/7/16

सेवा में,

रजिस्ट्रार
सहकारी संस्थाएं,
जयपुर।

विषय : संस्था पंजीकरण हेतु।

संस्थाएं
04/07/16

महोदय,

निवेदन है कि हम आवेदकगण जिनका विवरण संलग्न संघ विधान पत्र में अंकित है.डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान के नाम से राजस्थान सहकारीसंस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के तहत संस्था पंजीकृत करवाने के इच्छुक हैं।

कृपया हमारी संस्था का पंजीयन करने का आदेश प्रदान कर अनुगृहित करें।

संलग्नः संघ विधान–पत्रतथा विधान (नियमावली)

भवदीय,

(अध्यक्ष / महासचिव)

Scanned with OKEN Scanne

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN				
Balance Sheet as at 31st March, 2021 (2020-2021)				
Liabilities		**Amount**	**Assets**	**Amount**
General Fund			Fixed Assets	132,970.93
Opening Balance	1,603,759.37			
Add-Surplus for the year	2,694,697.22	4,298,456.59	Cash at Bank	2,324,203.69
Corpus Fund			Cash in Hand	32,375.00
Opening Balance	5,750,850.00		FDR	7,136,495.00
Add- Receipt During the year (General fund)	-	5,750,850	TDS Receivable	26,288.00
Audit Fees Payable		5,900	Other current Assets	402,874.16
Total		**10,055,207**	**Total**	**10,055,207**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 12/02/2022

UDIN:- 22400831AEYDQU8292

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee **Trustee**

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari-Karamchari Association Rajasthan

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2021 (2020-2021)

Expenditure	Amount	Income	Amount
To Office & General Expenses	79,974.00	By Voluntary Contribution	30,700.00
To Depreciation Charges	15,114.39	By Donations Received	1,475,407.00
To Bank Charges	10,803.55	By Membership Contribution	2,121,305.16
To Audit Fees	11,800.00	By Interest Income	379,578.00
To Printing & Postage Expenses	18,356.00		
To Rent Expenses	154,744.00		
To Conveyance Expenses	22,499.00		
To Miscellaneous Expenses(Other Branches)	364,259.00		
To Expenses for the objects of the trust	634,743.00		
To Surplus	2,694,697.22		
Total	**4,006,990.16**	**Total**	**4,006,990.16**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 12/02/2022

Dhoot & Associates, FRN-002145C, JAIPUR, Chartered Accountants

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee **Trustee**

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

(5,1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN (2020-2021)

Fixed Assets Schedule as on 31st March, 2021

S.No	Particulars	Rate	WDV as on 01-04-2020	Addition		Total	Depreciation for the year 2020-21	WDV as on 31-03-2021
				More Than 180 Days	Less Than 180 Days			
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	FURINTURE	10%	147,065.80		-	147,065.80	14,706.58	132,359.22
2	PRINTER	40%	1,019.52			1,019.52	407.81	611.71
Total			148,085.32	-	-	148,085.32	15,114.39	132,970.93

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date:

DHOOT & ASSOCIATES
FRN 002145C
JAIPUR
CHARTERED ACCOUNTANTS

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

President Gen.Secretary Treasurer
Dr. Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

	Opening Balance	Membership Contribution	Donation	Received from Ho	Sent to Ho	Interest Recevied	Expenses	Bank Charges	Closing Balance as per bank
TONK	18300	23683				498	7000	53	35428
BHARATPUR	39901	21100				1233			62234
DHOLPUR	0	25000						6388	18612
SAWAI MADHOPUR	75525	95901		186150	158114		50555	649	148258
BIKANER	126218	78450						649	204019
CHURU	18429	229000	40000				81100	649	205680
ALWAR	54544	86450				1719	80000		62713
DAUSA	60729	93419	5100			2358	60000		96506
JAIPUR	110228	82297				2463	45604	75	149309
JHUNJHUNU	16672	4700					0	649	20723
JAISALMER	136983	113550					40000	649	209884
JALORE	246165	109001			225000	2731	0	0	132897
JODHPUR	0	37500					0	226	37274
PALI	167251	50200		42000	168200	2957	0	0	94208
JHALAWAR	407680	0				0	0	0	407680
DUNGARPUR	0	51430			50000		0	449	981
JAIPUR HO	177457	0					0		437797
	1656082.27	1101681	45100	228150	601314.16	13959	364259	10434.83	2324203.69

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati
Adhikari-Karamchari Association Rajasthan

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2022 (2021-2022)

Expenditure	Amount	Income	Amount
To Office & General Expenses	14,000.00	By Voluntary Contribution	38,000.00
To Depreciation Charges	15,080.61	By Donations Received	114,200.00
To Bank Charges	8,647.38	By Membership Contribution	1,427,402.17
To Audit Fees	11,000.00	By Interest Income	401,974.00
To Printing & Postage Expenses	410,548.00		
To Rent Expenses	60,000.00		
To Miscellaneous Expenses(Other Branches)	1,173,604.83		
To Surplus	288,695.35		
Total	1,981,576.17	Total	1,981,576.17

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

DHOOT & ASSOCIATES CHARTERED ACCOUNTANTS FRN-002145C JAIPUR

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Trustee

Trustee

Place: Jaipur
Date: 30/9/2022

Scanned with OKEN Scanne

(5/1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Balance Sheet as at 31st March, 2022 (2021-2022)

Liabilities		Amount	Assets	Amount
General Fund			Fixed Assets	133,890.33
Opening Balance	4,298,456.59			
Add-Surplus for the year	288,695.35	4,587,151.95	Cash at Bank	1,869,530.68
Corpus Fund			Cash in Hand	59,412.00
Opening Balance	5,750,850.00	5,750,850	FDR	7,470,049.00
			TDS Receivable	74,571.00
Audit Fees Payable		16,900	Other current Assets	747,449.00
Total		**10,354,902**	**Total**	**10,354,902**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 30/9/2022

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari
Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

Scanned with OKEN Scanner

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Fixed Assets Schedule as on 31st March, 2022

(2021-2022)

S.No	Particulars	Rate	WDV as on 01-04-2020	Addition		Total	Depreciation for the year 2020-21	WDV as on 31-03-2021
				More Than 180 Days	Less Than 180 Days			
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	FURINTURE	10%	132,359.22	16,000.00	-	148,359.22	14,835.92	133,523.30
2	PRINTER	40%	611.71			611.71	244.68	367.03
	Total		132,970.93	16,000.00	-	148,970.93	15,080.61	133,890.33

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

DHOOT & ASSOCIATES CA FRN-002145C JAIPUR CHARTERED ACCOUNTANTS

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 30/9/2022

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

Scanned with OKEN Scanner

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Balance Sheet as at 31st March, 2023 (2022-2023)

Liabilities		Amount	Assets	Amount
General Fund			Fixed Assets	1,56,138.28
Opening Balance	45,87,151.95			
Add-Surplus for the year	6,75,716.22	52,62,868.16	Cash at Bank	27,89,601.22
Corpus Fund			Cash in Hand	1,48,624.00
Opening Balance	57,50,850.00	57,50,850	FDR	71,80,761.00
Audit Fees Payable		5,900	TDS Receivable	1,11,845.00
			Other current Assets	6,32,649.00
Total		**1,10,19,619**	**Total**	**1,10,19,619**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 30-10-2023

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari-Karamchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

5.1

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2023 (2022-2023)

Expenditure	Amount	Income	Amount
To Office & General Expenses	67,525.00	By Voluntary Contribution	50,200.00
To Depreciation Charges	17,471.04	By Donations Received	4,85,039.00
To Bank Charges	8,806.24	By Membership Contribution	13,38,999.50
To Audit Fees	11,000.00	By Interest Income	3,94,978.00
To Printing & Postage Expenses	1,62,081.00		
To Rent Expenses	1,40,000.00		
To Legal Expenses	63,700.00		
To Miscellaneous Expenses(Other Branches)	11,22,917.00		
To Surplus	6,75,716.22		
Total	22,69,216.50	Total	22,69,216.50

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Trustee

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Place: Jaipur
Date:

Scanned with OKEN Scanner

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN
Fixed Assets Schedule as on 31st March, 2023 (2022-2023)

S.No	Particulars	Rate	WDV as on 01-04-2022	Addition		Total	Depreciation for the year 2022-23	WDV as on 31-03-2023
				More Than 180 Days	Less Than 180 Days			
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	FURINTURE	10%	1,33,523.30	39,719.00	-	1,73,242.30	17,324.23	1,55,918.07
2	PRINTER	40%	367.03			367.03	146.81	220.22
	Total		1,33,890.33	39,719.00	-	1,73,609.33	17,471.04	1,56,138.28

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date:

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

Gen.Secretary Treasurer
Ambedkar Anusuchit Jati
Karmchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Balance Sheet as at 31st March, 2023 (2022-2023)

Liabilities		Amount	Assets	Amount
General Fund			Fixed Assets	1,56,138.28
Opening Balance	45,87,151.95			
Add-Surplus for the year	6,75,716.22	52,62,868.16	Cash at Bank	27,89,601.22
Corpus Fund			Cash in Hand	1,48,624.00
Opening Balance	57,50,850.00	57,50,850	FDR	71,80,761.00
Audit Fees Payable		5,900	TDS Receivable	1,11,845.00
			Other current Assets	6,32,649.00
Total		**1,10,19,619**	**Total**	**1,10,19,619**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date: 30-10-2023

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee **Trustee**

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati
Adhikari-Karamchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

(5.1)

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

Income & Expenditure Account for the year ended on 31st March, 2023 (2022-2023)

Expenditure	Amount	Income	Amount
To Office & General Expenses	67,525.00	By Voluntary Contribution	50,200.00
To Depreciation Charges	17,471.04	By Donations Received	4,85,039.00
To Bank Charges	8,806.24	By Membership Contribution	13,38,999.50
To Audit Fees	11,000.00	By Interest Income	3,94,978.00
To Printing & Postage Expenses	1,62,081.00		
To Rent Expenses	1,40,000.00		
To Legal Expenses	63,700.00		
To Miscellaneous Expenses(Other Branches)	11,22,917.00		
To Surplus	6,75,716.22		
Total	**22,69,216.50**	**Total**	**22,69,216.50**

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date:

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari
Karamchari Association Rajasthan

Trustee **Trustee**

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anusuchit Jati
Adhikari-Karamchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN
Fixed Assets Schedule as on 31st March, 2023 (2022-2023)

S.No	Particulars	Rate	WDV as on 01-04-2022	Addition		Total	Depreciation for the year 2022-23	WDV as on 31-03-2023
				More Than 180 Days	Less Than 180 Days			
			Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	FURINTURE	10%	1,33,523.30	39,719.00	-	1,73,242.30	17,324.23	1,55,918.07
2	PRINTER	40%	367.03			367.03	146.81	220.22
	Total		1,33,890.33	39,719.00	-	1,73,609.33	17,471.04	1,56,138.28

In terms of our attached report of even date

For Dhoot & Associates
Chartered Accountants
FRN: 002145C

Dikshant Sogani
Partner
M. No. 400831

Place: Jaipur
Date:

For Dr Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karamchari Association Rajasthan

Trustee

Trustee

President Gen.Secretary Treasurer
For Dr. Ambedkar Anus... Jati
... Karamchari Association Rajasthan

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु संख्या 5.2

1. अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना।
2. प्रतिभावान विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता देना।
3. अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देना।
4. संस्था के विधान में वर्णित अद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करना।
5. अनुसूचित जाति समाज का शिक्षित करना एवं व्याप्त कुरूतियों को दूर करने हेतु कार्य करना।
6. अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के आर्थिक शैक्षणिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना।
7. अनुसूचित जाति समुदाय के मध्य एकता, आपसी भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना विकसित करते हुए उसे सुदृढ़ करना।
8. अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण हेतु राज्य सरकार की विभिन्न नितियों, योजनाओं एवं कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।
9. अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारी कर्मचारियों के सेवा संबंधि समस्याओं को सरकार तक पहुचाना एवं निस्तारण करवाना।
10. अनुसूचित जाति वर्ग के सदस्यों पर होने वाले अत्याचार व उत्पीड़न के संबंध में पुलिस प्रशासन से मिलकर वैधानिक कार्यवाही करके समाधान कराना।
11. अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों में आपसी समन्वय व एकता स्थापित कराना।

बिन्दु संख्या 6.1

1. अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र/छात्राओं के लिए प्रस्तावित भूमि का आंवटन शैक्षणिक आवासीय छात्रावास निर्माण हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि आवंटन करने हेतु प्रस्तावित है जिसमें प्रस्तावित निर्माण के अन्तर्गत आवासीय सम्भावित 50 कमरे, मिटिंग हॉल, मैस, वाचनालय, पार्किक, स्वागत कक्ष, चोकीदार आवास आदि शामिल है।
2. निर्माण लागत लगभग पांच करोड़ रूपये आयेगी।
3. निर्माण हेतु राशि का संग्रहण संस्था के सदस्यों से सहयोग, समाज के भामाशाहों, जनप्रतिनिधियों एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार से वित्तिय अनुदान आदि से किया जावेगा।

बिन्दु संख्या 6.2

1. अनुसूचित जाति समाज के अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को जो दूर दराज के क्षेत्र से अध्ययन करने हेतु आये है, उनको आर्थिक सहायता मिलेगी जिससे उनको शैक्षणिक विकास होगा।
2. उपरोक्त बिन्दु संख्या 6.1 में वर्णितानुसार।

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था विधान (नियमावली)–संशोधित

1. **संस्था का नाम :** इस संस्था का नाम डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन है जिसे संक्षिप्ततः 'अजाक' (AJAK) के नाम से भी जाना जाएगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय :** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 11/26, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।

3. **परिभाषाएँ:** इस विधान में –
   - (i) 'संस्था' से तात्पर्य डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी– कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है।
   - (ii) 'विधान' से तात्पर्य इस संस्था के विधान (नियमावली) है।
   - (iii) 'समिति' से तात्पर्य इस संस्था की राज्य–स्तरीय कार्यकारी समिति है।
   - (iv) 'पंजीयक (रजिस्ट्रार)' से तात्पर्य सहकारी संस्थाओं के पंजीयक (रजिस्ट्रार), जयपुर से है।
   - (v) 'अधिनियम (एक्ट)' से तात्पर्य राजस्थान संस्थाओं का पंजीयन अधिनियम से है।

4. **संस्था के उद्देश्य :** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–
   - I. भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।
   - II. अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी–मामलों के विधि सम्मत हल निकालने के लिए राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना / करवाना तथा आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु कानूनी व प्रशासनिक सलाह देना एवं आवश्यक कार्यवाही करवाना।
   - III. भारत सरकार, राजस्थान सरकार, सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध–शासकीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों आदि की, सेवाओं, चाहे ऐसी सेवाएं स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हों, में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत में आरक्षण हेतु संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाही करना।

IV. अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में सेवारत एवं गैर–सेवारत लोगों (नौकरीपेशा लोगों के अलावा) के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना।

V. अनुसूचित जाति समाज को शिक्षित एवं जागृत करना और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करना।

VI. अनुसूचित जाति के विभिन्न समुदायों में पारस्परिक एकता, भाईचारा एवं सहयोग की भावना उत्पन्न करते हुए इनके सुदृढ़ीकरण के प्रयास करना।

VII. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाई गई सरकार (राज्य व केन्द्र) की विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना एवं समय–समय पर इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्यांकन, अध्ययन कराना तथा ऐसे कानून व नीतियाँ बनाए जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि अनुसूचित जाति के सर्वांगीण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक हो।

VIII. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु शोध कराना एवं शोध के माध्यम से आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं संकलित करना और शोध के परिणामों को प्रकाशित करना।

IX. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, दिशा और कल्याण से सम्बन्धित पत्र–पत्रिकाएँ प्रकाशित करना।

X. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा सम्बन्धित प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधिसम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।

XI. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शाखाएँ/कार्यकारी समितियाँ गठित करना।

XII. उपरोक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से सदस्यता शुल्क, वार्षिक शुल्क सहयोग, चन्दा/अंशदान एकत्रित करना, शासन से अनुदान, सहायता प्राप्त करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आर्थिक साधन जुटाना/प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियाँ करना।

XIII. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन उपरान्त अनुसूचित जाति के आर्थिक, शैक्षणिक एवं बीमारीग्रस्त व्यक्तियों की आर्थिक/वित्तिय, कानूनी, चिकित्सकीय एवं अन्य सहायता प्रदान करना।

XIV. राज्य सरकार अथवा किसी भी अन्य स्त्रोत से आवंटन द्वारा, दान प्राप्त करके भूमि, भवन क्रय करने व भवन निर्माण इत्यादि द्वारा कार्यालय, शिक्षण संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय इत्यादि की व्यवस्था करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

5. **संस्था का संगठानात्मक ढाँचा** : संस्था की निम्नलिखित स्तरों पर शाखाएँ/कार्यकारी समितियाँ होंगीः –

(i) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति।

(ii) जिला स्तरीय कार्यकारी समिति।

(iii) तहसील स्तरीय कार्यकारी समिति।

(iv) ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति।

विशेष : (क) संस्था की जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर की कार्यकारी समितियों पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के समस्त निर्णय बाध्यकारी होंगे।

(ख) तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तर की कार्यकारी समितियाँ, जिला कार्यकारी समिति के अधीन एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी।

(ग) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समितियों के स्वरूप में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

6. सदस्यता :

(अ) सदस्यता प्राप्ति के लिए पात्रताः –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) सदस्यता प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति अनुसूचित जाति वर्ग का हो और उसे सरकारी (राज्य और केन्द्र) सेवा में सेवारत या इससे सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी होना आवश्यक है।

(ग) राजस्थान सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन किसी सार्वजनिक उपक्रम, अर्द्ध–शासकीय संस्था, किसी स्थानीय निकाय, किसी सहकारी संस्था या सहकारी बैंक का वर्तमान में सेवारत अथवा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी भी इस संस्था का सदस्य बनने के लिए पात्र होगा।

(घ) उपरोक्त प्राथमिक पात्रताओं के साथ–साथ संस्था के समस्त सदस्य संस्था के नियमों की पालना की प्रतिज्ञा तथा संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे।

(ड.) स्वस्थचित मष्तिष्क हो।

(ब) सदस्यता प्राप्ति : –

i. प्रत्येक व्यक्ति को जो कि संस्था सदस्य बनने का इच्छुक हो, उसे लिखित रूप में या ऑनलाईन माध्यम से निर्धारित फॉर्म में आवदेन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रस्तुति करना होगा जिसे स्वीकार/अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

ii. इच्छुक सदस्य अजाक वैबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकेंगे परन्तु निर्धारित सदस्यता शुल्क जमा करवाने एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन के बाद ही उनकी सदस्यता मान्य होगी।

(स) सदस्यों की श्रेणियाँ :–

i. **आजीवन सदस्य–** जिन सदस्यों ने 20,000/– या 20,000/– रुपए से अधिक की राशी (वार्षिक शुल्क के अतिरिक्त) संस्था की स्थापना के समय या बाद में किसी भी रूप में एवं कितनी भी बार में जमा करवा दी है अथवा करवा देंगे, ऐसे सदस्य वार्षिक शुल्क से आजीवन मुक्त होंगे और 'आजीवन सदस्य' कहलाएंगे।

ii. **संरक्षक सदस्य** : जो सदस्य संस्था को अंशदान/शुल्क के रूप में न्यूनतम 5000/– रुपए देगा, वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा। ऐसे 'सामान्य सदस्य' जिन्होंने पूर्व में सदस्यता शुल्क के रूप में संस्था को 1000/– रुपए जमा करवा रखे हैं वे भी अतिरिक्त 4000/– रुपए (वार्षिक शुल्क के अलावा) जमा करवाकर "संरक्षक सदस्य" बन सकते हैं।

iii. **सामान्य सदस्य** : जो सदस्य, संस्था को, सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/– रुपए देगा, वह संस्था का 'सामान्य सदस्य' होगा।

iv. **मानद सदस्य** : संस्था की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों (चाहे वे राजकीय सेवा में हों/रहे हों या ना हों/ना रहे हों) को, जो कि समाज के समग्र विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान दे रहे हों, उन्हें एक निश्चित समय (संस्था के निर्णय अनुसार) के लिए "मानद सदस्य" बना सकती है। ऐसे सदस्यों को आवश्यकतानुसार संस्था द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा परन्तु उन्हें मतदान करने का अधिकार नहीं होगा। 'मानद सदस्य' किसी भी प्रकार के शुल्क से मुक्त होंगे परन्तु स्वेच्छा से संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान/सहयोग इत्यादि के माध्यम से योगदान दे सकेंगे।

(द) सदस्यता जारी रखने की अन्य पात्रताएँ :–

i. **वार्षिक शुल्क–** प्रत्येक संरक्षक एवं सामान्य सदस्य को प्रतिवर्ष न्यूनतम 100/– रूपए वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य कार्यकारी समिति, वार्षिक शुल्क की राशि को समय–समय पर बढ़ा/घटा सकेगी और इसे जमा कराने की प्रक्रिया/विधि तय/परिवर्तित कर सकेगी।

ii. **अनुशासन–** संस्था के सभी सदस्यों को संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में अनुशासित रहते हुए कार्य करना है तथा संस्था की छवि के प्रति संवेदनशील रहना होगा। सभी सदस्यों को अपनी समस्याओं को अनुशासित ढंग से शांति व भाईचारे से प्रस्तुत करना होगा।

iii. **अनुशासनहीनता**– यदि किसी भी सदस्य द्वारा यदि संस्था के विरुद्ध या संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने की शिकायत प्राप्त होती है तो राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा उस सदस्य के विरुद्ध इस विधान की धारा– 6 की उपधारा (य) (b) के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(य) सदस्यता समाप्ति :–

(a) संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में स्वतः ही समाप्त हो जाएगी :–

i. मृत्यु हो जाने पर।
ii. मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर।
iii. संस्था को देय वार्षिक शुल्क की राशि लगातार दो वर्ष तक जमा न करने पर।
iv. त्याग पत्र देने एवं उसके स्वीकार हो जाने पर।
v. किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर।
vi. ग्रामीण/शहरी निकायों, विधानसभा एवं संसद के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं चुनाव लड़ने पर या किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के दुराचरण का दोष सिद्ध होने पर।
vii. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
viii. संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किए जाने पर।
ix. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार संस्था की सदस्यता से निष्कासित कर दिये जाने पर।

(b) अनुशासनात्मक कारणों से सदस्यता समाप्ति की प्रक्रियाः –

i. किसी भी सदस्य के विरुद्ध यदि संस्था के उद्देश्यों के विरुद्ध कार्य करने की शिकायत प्रथम दृष्ट्या सही पाई जाती है तो राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति उस सदस्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के पूर्व एक तीन सदस्यीय जाँच समिति गठित करेगी।
ii. तीन सदस्यीय जाँच समिति जिस सदस्य के विरुद्ध जाँच प्रारम्भ करनी है, उसे अपना पक्ष रखने का न्यायसम्मत उचित अवसर देगी।
iii. सदस्य अपना पक्ष जाँच समिति के समक्ष स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि (वकील के अलावा) के माध्यम से रख सकता है परन्तु समस्त प्रक्रिया के दौरान उसका स्वयं भौतिक रूप से या किसी भी विधिसम्मत वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहना आवश्यक है।

iv. यदि दी गई निश्चित समयावधि में सदस्य अपना पक्ष रखने में असफल रहता है तो राज्य स्तरीय समिति उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए अधिकृत होगी और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

v. जाँच समिति को समस्त जाँच प्रक्रिया सम्पन्न कर अपना निर्णय अधिकतम 30 दिवस में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

vi. जाँच समिति द्वारा की जाने वाली समस्त जाँच सम्बन्धित कार्यवाही (गवाहों के बयान, विचाराधीन सदस्य के बयान, voice samples इत्यादि) के दस्तावेजी प्रमाण रखने अनिवार्य होंगे।

vii. समस्त जाँच प्रक्रिया के बाद यदि सदस्य, संस्था के विरुद्ध अनुशासनहीनता का दोषी पाया जाता है तो ऐसे सदस्य को उसकी प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित/निष्काषित/समाप्ति करने हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति अधिकृत होगी।

(c) **स्वेच्छा से सदस्यता का परित्यागः** – यदि कोई सदस्य स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने का निर्णय लेता है तो उसे इस निर्णय की सूचना राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को लिखित में देनी होगी।

(d) **सदस्यता की पुनः बहालीः** – निलम्बित/निष्कासित सदस्य को पुनः बहाल करने का अधिकार केवल राज्य स्तरीय समिति को होगा और उसका निर्णय अन्तिम होगा।

7. **सदस्य पंजिका** : संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजिका रखी जायेगी तथा उसमें निम्नांकित ब्यौरे दर्ज किए जाएंगे–

i. प्रत्येक सदस्य का नाम

ii. पता

iii. पद एवं विभाग का नाम

iv. सम्पर्क मोबाइल नम्बर,

v. ई–मेल आईडी,

vi. सदस्यता प्राप्ति एवं समाप्ति दिनांक तथा सदस्यता, वार्षिक शुल्क व अन्य राशि का विवरण रसीद नम्बर के साथ।

8. **साधारण सभा :**

(अ) **साधारण सभाः** – साधारण सभा में समस्त आजीवन, संरक्षक एवं सामान्य सदस्य भाग ले सकेंगे।

(ब) **साधारण सभा की बैठकः –**

i. साधारण सभा की बैठक वर्ष में कम से एक बार अनिवार्य होगी, परन्तु आवश्यकतानुसार कभी भी बुलाई जा सकती हैं।

ii. साधारण सभा की बैठक का माह, तारीख, स्थान व समय राज्य कार्यकारी समिति निश्चित करेगी, जिसकी सूचना 15 दिवस पूर्व सदस्यों को वाट्सएप ग्रुप, वैबसाइट, टेलीग्राम एप ग्रुप, ई–मेल द्वारा तथा किसी भी सम्भव इलैक्ट्रोनिक संचार माध्यम में से कम से कम एक माध्यम द्वारा दी जावेगी।

iii. साधारण सभा की बैठक का कोरम 1/5 सदस्यों का होगा। यदि बैठक शुरू होने के पश्चात एक घंटे तक यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक स्थगित कर उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी।

iv. यदि संस्था के कुल मतदान योग्य सदस्यों की संख्या के पांचवे हिस्से अथवा मतदान योग्य पचास सदस्य लिखित रूप में आवेदन कर साधारण सभा की बैठक बुलाने की माँग करते हैं तो उनके द्वारा निर्दिष्ट विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलाई जावेगी।

(स) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्त्तव्य :–

i. संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण, प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना व आगामी वर्ष की कार्ययोजना को स्वीकृति देना।

ii. पिछले वर्ष का आय–व्यय, अंकेक्षित लेखो का अनुमोदनों करना।

iii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का चुनाव करना।

iv. वार्षिक बजट पारित करना।

v. संस्था की उपविधियों में संशोधन करना।

vi. अन्य ऐसे विषयों पर विचार जो कार्य समिति द्वारा प्रस्तुत हो।

vii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा किए गए कार्यो की समीक्षा करना व पुष्टि करना।

9. विभिन्न स्तरीय कार्यकारी समितियाँ :

(A) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति–

(अ) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का गठनः –

i. संस्था के गठन के एक वर्ष की अवधि में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होगा।

ii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा बहुमत से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

(ब) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों की संख्या : –

i. अध्यक्ष – 01
ii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – 01
iii. महासचिव– 01
iv. कोषाध्यक्ष – 01
v. अतिरिक्त महासचिव – 01
vi. उपाध्यक्ष – 10 अधिकतम
vii. विधि सचिव – 01 अधिकतम
viii. सचिव – 10 अधिकतम
ix. संयुक्त सचिव – 12 अधिकतम
x. प्रवक्ता – 02 अधिकतम
xi. सदस्य – 10 अधिकतम। (कुल कार्यकारिणी सदस्य संख्या – 50)

(स) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकः

i. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में कम से कम एक बार होगी।
ii. बैठक का एजेण्डा तथा सूचना बैठक के दिनांक से सात दिवस पूर्व कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को वाट्सएप ग्रुप, वैबसाइट, टेलेग्राम एप ग्रुप, ई–मेल द्वारा या किसी भी अन्य सम्भव संचार माध्यमों में से कम से कम एक माध्यम से भेजी जानी आवश्यक होगी।
iii. बैठक का कोरम एक तिहाई सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक स्थगित/समाप्त की जा सकेगी।
iv. विशेष परिस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति कि बैठक तीन घण्टे की पूर्व सूचना (फोन, व्हाट्सऐप, टेलीग्राम ऐप, अजाक वेबसाईट अथवा अन्य संचार के माध्यमों में से कम से कम एक माध्यम से) पर आयोजित की जा सकेगी।
v. राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों की बैठक पूर्व सूचना जारी कर वर्चुअल तरीके से (जूम, गूगल मीट या ऐसे अन्य ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के माध्यम से) भी आयोजित की जा सकेगी और इसे भौतिक उपस्थिति की भाँति ही अधिकृत बैठक माना जाएगा।

(द) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अधिकार एवं कर्त्तव्यः

i. पिछले वर्ष का आय–व्यय का अंकेक्षित लेखा, प्रगति प्रतिवेदन के साथ साधारण सभा की बैठक मे प्रसतुत करना।

ii. समिति एवं इसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करना।

iii. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति के ऊपर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

iv. कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्त करना व वेतन निर्धारित करना।

v. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा एवं रख–रखाव करना।

vi. आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।

vii. संस्था की किसी भी स्थावर सम्पति का विक्रय या अन्यथा अर्जन या अंतरण के लिए पूर्वानुमति देना।

viii. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार–विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृती हेतु प्रस्तुत करना।

ix. साधारण सभा द्वारा संशोधन पारित होने पर उक्त पारित प्रस्ताव को पंजीयक, सहकारी संस्था को अनुमोदन हेतु भेजा जाना।

x. समय–समय पर विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए उपसमितियों/प्रकोष्ठों का गठन करना।

xi. संभागीय एवं जिला प्रभारी नियुक्त करना।

xii. आपात परिस्थितियों में व्यय का अनुमोदन करना एवं इस व्यय के लेखे–जोखे का संधारण करना।

xiii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्वाचित पदाधिकारियों के त्याग पत्र स्वीकार करना एवं उनके स्थान पर सहवृत्त/मनोनयन द्वारा की व्यवस्था करना।

xiv. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों/सामान्य सदस्यों को अनुशासनहीनता की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही करना।

xv. जिला स्तरीय कार्यकारी समिति तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों के पदाधिकारियों/सामान्य सदस्यों को अनुशासनहीनता की स्थिति में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अनुमोदन पश्चात नियमानुसार कार्यवाही करना।

xvi. जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों को वित्तीय अधिकार प्रदान करना।

xvii. जिला स्तरीय इकाईयों के लेखों–खातों (कैश बुक, लेजर इत्यादि) का वर्ष में दो बार आंतरिक अंकेक्षण करवाना।

xviii. अन्य आवश्यक कार्य करना जो समय–समय पर साधारण सभा द्वारा सौंपे जावें।

xix. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना।

(B) **जिला स्तरीय कार्यकारी समितिः** – संबंधित जिले के पंजीयन रजिस्टर में दर्ज सदस्यों में से ही जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के निम्नांकित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन किया जायेगा :–

i. अध्यक्ष – 01

ii. उपाध्यक्ष – 05 अधिकतम

iii. महासचिव – 01

iv. सचिव – 05/तहसीलों की संख्या का आधा जो भी अधिक हो

v. संयुक्त सचिव – 05/तहसीलों की संख्या का आधा जो भी अधिक हो

vi. कोषाध्यक्ष – 01

vii. प्रवक्ता – 02 अधिकतम

viii. सदस्य – 10 अधिकतम। (कुल कार्यकारिणी सदस्य संख्या – 30)

ix. जिला इकाई के जिलाध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से तहसील इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा।

x. तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(C) **तहसील स्तरीय कार्यकारी समितिः** – इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन होगा :–

i. अध्यक्ष – 01

ii. उपाध्यक्ष – 05 अधिकतम

iii. महासचिव – 01

iv. सचिव – 05 अधिकतम

v. संयुक्त सचिव – 05 अधिकतम

vi. कोषाध्यक्ष – 01

vii. प्रवक्ता – 02 अधिकतम

viii. सदस्य – 05 अधिकतम। (कुल कार्यकारिणी सदस्य संख्या – 25)

ix. तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा।

x. ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(D) **ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समितिः** – ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति के निम्नांकित पदाधिकारियों तथा सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन तहसील स्तरीय इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से होगा :–

i. अध्यक्ष – 01

ii. उपाध्यक्ष – 01

iii. महासचिव – 01

iv. सचिव – 02 अधिकतम

v. संयुक्त सचिव – 02 अधिकतम

vi. कोषाध्यक्ष – 01

vii. प्रवक्ता – 02 अधिकतम

viii. सदस्य – 10 अधिकतम (कुल कार्यकारिणी सदस्य संख्या – 20)

ix. ग्राम पंचायत स्तरीय इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

10. निर्वाचन प्रक्रिया :

(अ) **निर्वाचन :**

i. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा की जावेंगी।

ii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद निर्वाचन से भरे जाएंगे तथा शेष पदों पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के उपरोक्त पदाधिकारियों के आपसी परामर्श से मनोनयन किया जाएगा।

iii. निर्वाचन हेतु स्थान का चयन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा सुविधानुसार निश्चित किया जावेगा।

iv. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति संस्था की विभिन्न समितियों के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों के निर्वाचन/मनोनयन की प्रक्रिया निश्चित करेगी।

v. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के निर्वाचन के लिये निर्वाचन प्रक्रिया साधारण सभा में ही संपादित की जाएगी।

vi. साधारण सभा की बैठक में यदि कुछ या समस्त पदों पर जिन व्यक्तियों के नामों पर आम सहमति बन जाएगी उन्हें उन पदों के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया जावेगा।

vii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष सहित कोई भी पद किसी कारण रिक्त होता है तो राज्य कार्यकारी समिति उस पद के लिए शेष कार्यकाल के लिये मनोनयन के लिये अधिकृत होगी।

viii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति राज्य में, जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, तहसील स्तरीय कार्यकारी समिति और ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति में किसी भी पद पर मनोनयन की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत होगी।

ix. जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सभी कार्यकारी समितियों का कार्यकाल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा, परन्तु नई समितियों के गठन तक पूर्व समितियाँ ही पूर्व की भाँति ही कार्य करती रहेंगी।

x. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा ही शेष अवधि के लिए भी किसी अन्य व्यक्ति का उक्त पद के लिए मनोनयन किया जावेगा।

xi. जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, तहसील स्तरीय कार्यकारी समिति, ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति, के निर्वाचित पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर सम्बन्धित स्तरीय कार्यकारी समितियों द्वारा शेष अवधि के लिए मूल प्रक्रिया से निर्वाचन/मनोनयन किया जावेगा।

xii. जिला स्तरीय कार्यकारी, तहसील स्तरीय कार्यकारी तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी समितियों द्वारा मनोनीत पदाधिकारियों के पद रिक्त होने पर ये कार्यकारी समितियाँ ही शेष अवधि के लिए भी किसी अन्य व्यक्ति का इन पदों के लिए मनोनयन करेंगी।

xiii. सभी स्तरीय कार्यकारी समितियों के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम बैठक से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शपथ ग्रहण करनी होगी।

xiv. नियमित रूप से प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क नहीं जमा कराने वाले सामान्य और संरक्षक सदस्य को न तो मताधिकार प्राप्त होगा और न ही वह किसी पदाधिकारी के पद पर निर्वाचन/मनोनयन हेतु पात्र होगा।

xv. संस्था के सामान्य और संरक्षक सदस्य, जिनकी सदस्यता वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराने के कारण समाप्त हो गई है वे मतदान की स्थिति में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा नियत दिनांक तक पुराना कुल देय वार्षिक शुल्क जमा कराने पर ही मतदान करने एवं किसी भी पद पर निर्वाचन/मनोनयन के पात्र होंगे।

xvi. शुल्क चुकने की छूट केवल एक वर्ष तक ही मान्य होगी। यानि जो सदस्य एक वर्ष से अधिक बार शुल्क जमा नहीं करता है तो वह निर्वाचन या मनोनयन के लिए अधिकृत नहीं होगा।

(ब) त्यागपत्र (प्रक्रिया) –

i. जिला स्तरीय कार्यकारी समिति, तहसील स्तरीय कार्यकारी समिति तथा ग्राम पंचायत स्तरीय कार्यकारी कार्यकारी समिति के अध्यक्ष, कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व, अपना त्यागपत्र राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को सौंपेंगे।

ii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा अपना त्यागपत्र राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

iii. यदि वरिष्ठ उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो अध्यक्ष द्वारा अपना त्यागपत्र, महासचिव को प्रस्तुत किया जाएगा।

iv. अध्यक्ष के अतिरिक्त समस्त अन्य पदाधिकारी (राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों के) अपना त्यागपत्र, राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को सौंपेंगे। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में ही त्यागपत्र उपरोक्तानुसार, क्रमशः राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष या महासचिव को सौंपेंगे।

v. तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तरीय समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों के त्याग पत्र जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष को प्रस्तुत किए जाएँगे एवं उनके उत्तराधिकारी की व्यवस्था भी जिला स्तरीय कार्यकारी समिति ही करेगी।

11. **विभागीय प्रकोष्ठों का गठन** : राज्य स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागीय प्रकोष्ठों का गठन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुमति से मनोनयन द्वारा किया जा सकेगा।

12. **जिला स्तरीय विभागीय समितियाँ** : जिला स्तरीय विभागीय समितियों/प्रकोष्ठों में जिला कार्यकारिणी द्वारा पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा।

13. **सलाहकार मण्डल** : संस्था का एक सलाहकार मण्डल भी होगा। इस सलाहकार मण्डल का गठन आवश्यकतानुसार राज्य कार्यकारी समिति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले वरिष्ठ व्यक्तियों को मनोनीत करके किया जावेगा। सलाहकार मण्डल के गठन की निम्नलिखित शर्तें होंगी–

i. सलाहकार मण्डल के सदस्यों का मनोनयन राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति द्वारा तीन वर्ष के लिये किया जाएगा।

ii. सलाहकार मण्डल के सदस्यों की अधिकतम संख्या 10 होगी परन्तु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति बहुमत से इस संख्या को घटा या बढ़ा भी सकती है।

14. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्यः

i. अध्यक्ष/महासचिव द्वारा आयोजित की गई साधारण सभा तथा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

ii. किसी भी प्रकार के निर्णय के अन्त में मत बराबर आने पर, अध्यक्ष का मत, निर्णायक मत होगा।

iii. अध्यक्ष, संस्था के उपाध्यक्षों, सचिवों, संयुक्त सचिवों एवं अन्य मनोनीत पदाधिकारियों के बीच कार्य एवं क्षेत्र का विभाजन कर सकेगा।

iv. अध्यक्ष, संस्था के कार्यों हेतु 25000/– रुपये तक व्यय करने हेतु अधिकृत होगा। उपरोक्त से अधिक व्यय के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदन आवश्यक होगा।

इसी प्रकार जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का अध्यक्ष भी 10,000/– रुपए तक व्यय करने के लिए अधिकृत होगा। उपरोक्त से अधिक व्यय के लिए जिला स्तरीय कार्यकारी समिति से अनुमोदन आवश्यक होगा।

15. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य

i. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिती में बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उपस्थित सदस्यों में से किसी एक सदस्य को इस बैठक के अध्यक्षता के अधिकार दिए जा सकेंगे।

ii. वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा एवं उपरोक्त अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किए गये मामलों में, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग किया जा सकेगा।

16. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति महासचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्यः

i. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्य कार्यकारी समिति द्वारा नामित किये जाने पर उन पदों के कर्तव्यों का संपादन करना।

ii. अध्यक्ष के निर्देशानुसार साधारण सभा तथा कार्यकारी समिति की बैठक समय–समय पर बुलाना।

iii. बैठक कार्यवाही को रिकॉर्ड करना व रिकॉर्ड रखना।

iv. प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के आवेदन पत्रों तथा सुझावों को बैठक में प्रस्तुत करना।

v. समिति की आय–व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना एवं उसका अंकेक्षण कराना, उससे सम्बन्धित प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

vi. संविदा पर रखे गए कर्मचारियों के बिल प्रमाणित करना।

vii. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति हेतु विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करना एवं सम्बन्धित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

viii. अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गए संस्था के कार्य निष्पादित करना।

ix. महासचिव को समिति के उद्देश्यों हेतु प्रायोजित किसी कार्य के लिए 10,000/– रुपये तक व्यय करने का अधिकार होगा।

x. इसी प्रकार जिला स्तरीय कार्यकारी समिति के महासचिव को भी समिति के उद्देश्यों हेतु प्रायोजित किसी कार्य के लिए 5,000/– रुपए तक व्यय करने के लिए अधिकृत होगा।

17. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्य : महासचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वाह करना।

18. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के संयुक्त सचिव के अधिकार एवं कर्त्तव्यः महासचिव एवं सचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्त्तव्यों का निर्वाह करना।

19. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्त्तव्य :

i. संस्था की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना।

ii. संस्था का वित्तीय प्रबंधन करना एवं वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करवाना।

iii. अध्यक्ष, महासचिव या कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत व्यय करना और उसका लेखा–जोखा रखना।

iv. संस्था के लेखों का आन्तरिक अंकेक्षण करवाना तथा वर्ष में नियमानुसार प्रतिवर्ष लेखा–खातों (कैश बुक, लेजर इत्यादि) का सीए से लेखा–परीक्षा (ऑडिट) करवाना।

v. जिला स्तरीय व उससे निम्न स्तरीय कार्यकारी समितियों के अध्यक्षों/कोषाध्यक्षों से समन्वय कर उनके लेखा–खातों (कैश बुक, लेजर इत्यादि) की वर्ष में दो बार आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था करना।

vi. संस्था के प्रति आयकर विभाग से सम्बन्धित समस्त उत्तरदायित्त्वों का निर्वहन करना।
कोषाध्यक्ष के इस कार्य में सहायता हेतु राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति एक चार्टर्ड अकाउन्टैन्ट (CA) का प्रबन्ध अस्थाई/स्थाई करेगी।

vii. दैनिक कार्यों हेतु कोषाध्यक्ष अधिकतम 5000/– (पाँच हजार) रुपए व्यय करने के लिए अधिकृत होगा और इस व्यय का लेखा–जोखा रखेगा।

इसी प्रकार जिला स्तरीय कार्यकारी समिति का कोषाध्यक्ष भी 2500/– रुपए तक व्यय करने के लिए अधिकृत होगा।

20. अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता :

i. अनुसूचित जाति के लोगों के हितार्थ कार्य करने वाली किसी भी संस्था द्वारा आवेदन करने पर उसे राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन द्वारा संस्था से सम्बद्ध किया जा सकेगा।

ii. ऐसी संस्था से 1000/— रुपये का नाममात्र 'सम्बद्धता शुल्क' लिया जाएगा। यह शुल्क वापिस योग्य नहीं होगा।

iii. सम्बद्धता प्राप्त करने वाली संस्था को अजाक संस्था के उद्देश्यों का अक्षरशः पालन करना होगा।

iv. अजाक संस्था की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किसी भी संस्था की सम्बद्धता को, बिना कोई कारण बताए, निरस्त किया जा सकेगा।

21. सदस्यता शुल्क का वितरणः

i. जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों द्वारा सदस्यता शुल्क तथा अन्य किसी भी स्त्रोत से प्राप्त पूर्ण राशि सीधे ही राज्य स्तरीय बैंक खाते में जमा करवाई जाएगी।

ii. जिला शाखाएँ किसी भी राशि की प्राप्ति अपने जिला स्तरीय खाते में नहीं करेंगे।

iii. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा सदस्यता शुल्क एवं वार्षिक शुल्क के रूप में संकलित समस्त राशि का 25 प्रतिशत जिला स्तरीय बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जाएगा। उक्त राशि के प्रतिशत में संशोधन करने का अधिकार केवल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

iv. अन्य स्त्रोतों से प्राप्त राशि का 100 प्रतिशत तक भी जिला स्तरीय बैंक खाते में स्थानान्तरित किया जा सकेगा। उक्त राशि के प्रतिशत में संशोधन करने का अधिकार केवल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

v. अजाक जिला इकाई अपना बैंक खाता राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन के पश्चात ही खुलवा सकेंगी। इस खाते की समस्त जानकारी राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को देनी होगी।

vi. जिला स्तरीय इकाई को अपने बैंक खातों में से केवल राशी निकालने का अधिकार होगा। जमा कराने के लिए सभी जिला इकाईयाँ केवल राज्य स्तरीय बैंक खाते का प्रयोग करेंगी। विशेष परिस्थितियों में ही राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पूर्व अनुमोदन उपरान्त ही जिला इकाइयाँ अपने बैंक खातों में राशी जमा कर सकेंगी।

22. बैंक खातों का संचालन व सामान्य नियमः

i. संस्था की समस्त निधि किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक में रहेगी।

ii. धन का आहरण वितरण अध्यक्ष या महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा। यह प्रावधान राज्यस्तरीय शाखा, जिला स्तरीय शाखा, दोनों पर भी लागू होगा।

iii. अजाक संस्था अपने जमा कोष में से किसी भी सदस्य को ऋण स्वीकृत नहीं करेगी।

iv. यदि किसी सदस्य को किसी विशेष प्रयोजन हेतु अग्रिम (एडवांस) जारी किया जाता है तो उस प्रदत्त अग्रिम (एडवांस) राशि का एक माह में समायोजन करवाना अनिवार्य होगा।

v. संस्था के जमा कोष में से कोई भी राशि किसी अन्य संस्था को सहायतार्थ नहीं दी जाएगी।

vi. जिला स्तरीय कार्यकारी समितियों को किसी भी किस्म के राशि, कूपन इत्यादि छपवाने या राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति से अग्रिम स्वीकृति के बिना किसी भी प्रकार का चन्दा या दान एकत्रित करने का अधिकार नहीं होगा।

vii. राज्य स्तरीय बैंक खाते/खातों का तथा समस्त जिला स्तरीय या उससे निम्न स्तरीय इकाईयों के बैंक खातों की जानकारी का मासिक संधारण समस्त जिला स्तरीय कोषाध्यक्षों के साथ–साथ राज्य स्तरीय कोषाध्यक्ष के द्वारा भी किया जाएगा।

viii. समस्त जिला स्तरीय या उससे निम्न स्तरीय इकाईयों के बैंक खातों की जानकारी वहाँ के सम्बन्धित कोषाध्यक्ष राज्य स्तरीय कोषाध्यक्ष के साथ मासिक रूप से या माँगे जाने पर साझा करेंगे।

23. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी** : संस्था की वार्षिक सभा होने के बाद नवीन कार्यकारी समिति की सूची फाइल की जाएगी।

24. **संशोधन** : संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में उपस्थित सदस्यों के दो–तिहाई मतों से पारित होगा।

25. **विघटन** : संस्था का विघटन साधारण सभा में शामिल हो सकने योग्य कुल सदस्यों के दो–तिहाई मतों से किया जा सकेगा।

26. **सम्पत्ति** : संस्था की समस्त चल–अचल सम्पत्तियाँ केवल संस्था के नाम से ही पंजीकृत होगी।

27. अंकेक्षण :

i. राज्य स्तरीय संस्था द्वारा प्रतिवर्ष लेखा–खातों (कैश बुक, लेजर इत्यादि) का सीए से ऑडिट करवाया जाएगा।

ii. **आंतरिक अंकेक्षण–** राज्य स्तरीय कार्य समिति जिला स्तरीय इकाईयों के लेखा–खातों (कैश बुक, लेजर इत्यादि) का वर्ष में दो बार आंतरिक अंकेक्षण करेगी।

iii. जिला स्तरीय इकाईयों से माँगे जाने पर राज्य स्तरीय आंतरिक अंकेक्षण के लिए समस्त लेखा–खाता (कैश बुक, लेजर इत्यादि) प्रस्तुत करना होगा।

28. **संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण** : रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएँ, जयपुर को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण/जाँच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

29. विवाद :

i. संस्था में अथवा प्रबंध समिति में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को राज्य–स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुमति से उसे सुलझाने का अधिकार होगा।

30. आदर्श आचार संहिता : जिला, तहसील एवं ग्राम पंचायत स्तरीय मनोनयन प्रक्रियाओं में समय–समय पर शिकायतें/आरोप–प्रत्यारोप की जानकारी प्रादेशिक कार्यालय को प्राप्त होने पर इन विवादों को आदर्श आचार संहिता के तहत सुलझाया जाएगा।

इन विवादों के अतिरिक्त भी विभिन्न विभागीय शाखाओं व विभिन्न प्रकोष्ठों के गठन की प्रक्रियाओं को भी पारदर्शी बनाये रखने के लिए निम्नानुसार आदर्श आचार संहिता स्थायी रूप से लागू रहेगी :–

i. अध्यक्षों व अन्य पदों पर अभ्यर्थियों के मनोनयन प्रक्रिया में भाग लेने हेतु संस्था की प्राथमिक सदस्यता होना अनिवार्य होगी।

ii. अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं को इस मनोनयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

iii. संस्था की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों के निर्वाचन हेतु निष्पक्ष चुनाव अधिकारी को किसी भी स्थिति में लगातार दो बार से ज्यादा मनोनीत नहीं किया जाएगा।

iv. किसी भी स्तर की कार्यकारी समिति में कोई भी पदाधिकारी किसी भी स्थिति में किसी एक पद पर **लगातार तीन** बार से ज्यादा निर्वाचित एवं मनोनीत नहीं किया जाएगा।

v. मानद सदस्यों को इस मनोनयन/निर्वाचित प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता नहीं होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली) डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान (AJAK) की सही व सच्ची प्रति है।

————————

सलाहकार मण्डल

प्रो. श्यामलाल
पूर्व कुलपति
9887194929

श्री कन्हैया लाल बैरवा
IPS (Retd.)
9829200090

डॉ. बी. एल. आर्य
IAS (Retd.)
9413340799

श्री आर. पी. सिंह
IPS (Retd.)
9413305444

श्री गुरुचरण राय
IPS (Retd.)
9414067498

श्री बी. एल. नवल
IAS (Retd.)
9829015580

श्री सत्यवीर सिंह
IPS (Retd.)
7728888830

श्री प्रेमचन्द बैरवाल
IAS (Retd.)
7340662219

श्री मदन गोपाल मेघवाल
IPS (Retd.)
9413364755

डॉ. महेद्र कुमार आनंद
Advocate
9001298018

बिन्दु संख्या 9 (4)

प्रस्ताव संख्या 1 जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) से छात्राओं को छात्रावास हेतु भूखंड आवंटन कराने के संबंध में दिनांक 19.02.2025 :–

मिटिंग में सदस्यों ने अवगत कराया गया कि जयपुर शहर में प्रदेश के दूर–दराज क्षेत्रों की अनुसूचित जाति समुदाय की शहर के विभिन्न स्कूलों/कॉलेजो एवं विश्व विद्यालयों में अध्ययनरत है, लेकिन छात्राओं के लिए आवास (छात्रावास) की पर्याप्त एवं उपर्युक्त आवास (छात्रावास) की सुविधा उपलब्ध नही है। जिससे छात्राओं को उनके अध्ययन में काफी कठिनाईयां/अवरोध उत्पन्न होता है। अतः छात्रावास निर्माण हेतु उचित भूखण्ड की आवश्यकता हागी।

केन्द्र एवं राज्य सरकार "बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं" पर विशेष ध्यान दे रही है। अतःइस संबंध में शिक्षा को बढ़ावा देने की भावना को ध्यान में रखते हुए सर्व सम्मिति से निर्णय लिया गया कि जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) क्षेत्र के जयपुर शहर में जिसमें निलय कुंज योजना, सरोली गोनेर रोड़, जगतपुरा, प्रताप नगर, पत्रकार आदि उपयुक्त क्षेत्रों में छात्राओं के छात्रावास/वाचनालय हेतु लगभग 5000 वर्ग मीटर का भूखण्ड न्यूनतम आरक्षित दर (किफायती) आवंटन कराने की कार्यवाही कराई जाये।

इस संबध में जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) से वाछित कार्यकाही कराने हेतु संस्था की ओर से महासचिव श्री पूरण मल को अधिकृत किया जाता है।

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी – कर्मचारी एसोसिएशन, अजाक की राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक दिनांक 19.02.2025 के निर्णय/प्रस्ताव की प्रमाणित सत्य प्रतिलिपि।

निरुद्ध 9(4V)

P-Square Consultant And Contractor

Contact No:- 09660693486 **Email:–** psquarecc@gmail.com

Mem.No. CAT-I-A-6223
Code:-M03/186/D3-189

DATE -28-03-2025
Er Praveen Kumawat

Qualification- Civil Engineer

NAME OF WORK :Proposed Estimate of Institutional Building Plan of " **Name Of Organization: Dr. Ambedkar Anusuchit Jati Adhikari Karmchari Association "**

Rate of per Sq.Ft. Construction is 1250 Rupees

Total Proposed Construction Area = **36000 Sq.Ft.** { 18000 Sq.Ft. Ground Floor + 18000 Sq.Ft. First Floor }

Estimate Based upon Latest Guideline of Rajasthan Government.

Item No.	BSR Item	Description	Unit	Rate	Total Qty.	Amount in Rs
Earth Work						
1		Earth work in excavation by mechanical means (Hydraulic excavator)/ manual means over areas (exceeding 30cm in depth. 1.5m in width as well as 10 sum on plan) including disposal of excavated earth, lead upto 50m and lift upto 1.5 m , disposed earth to be levelled and neatly dressed: All kinds of soil	Cum	186.00	306.12	56938.78
2		Filling available excavated earth (excluding rock) in trenches, plinth side of foundation etc. in layers not exceeding 20 cm. in depth, consolidating each deposited layer by ramming and watering including lead up to 50 meter and with all lift.	Cum	56.00	244.90	13714.29
CONCRETE WORK						
3		Providing and laying in position cement concrete including curing, compaction etc. complete in specified grade excluding the cost of centering and shuttering - All work **up to plinth level.**				
a		1:4:8 (1 cement : 4 coarse sand : 8 graded stone aggregate 40 mm nominal size). PCC	Cum	4340.00	84.18	365357.14
b		1: 3: 6 (1 cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20mm nominal size). for DPC	Cum	4785.00	126.28	604228.32
REINFORCED CONCRETE WORK						
4	4.1	Providing and laying in position specified grade of cement concrete for RCC structural elements upto floor five level including curing, compaction, finishing with rendering in cement sand mortar 1:3 (1 cement: 3 coarse sand) and making good the joints and cost of plastizers(if required) excluding the cost of centering, shuttering and reinforcement etc. M25 grade Nominal Mix / Design Mix	Cum	5800.00	918.37	5326530.61
5		**Formwork/shuttering** Suspended floors, roofs, landings, staircases, balconies, girders, cantilevers, bands, coping bed plates, anchor blocks, sills, chhajjas, lintel, beam, plinth beam etc.	Sqm	296.00	5018.59	1485501.86

PRAVEEN KUMAR KUMAWAT

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR KUMAWAT
Date: 2025.03.28 17:57:29 +05'30'

Item No.	BSR Item	Description	Unit	Rate	Total Qty.	Amount in Rs
6		Providing and fabricating reinforcement for R.C.C. work including straightening, cutting, bending, placing in position and binding (including cost of binding wire) all complete up to floor five level.				
a		Thermo-mechanically Treated bars (Conforming of relevent IS code)	Kg.	75.00	108000.0	8100000.00
BRICK WORK						
7		Brick work with F.P.S. bricks of class designation 75 in superstructure above plinth level upto floor V level in all shapes and sizes in :				
a		Cement mortar 1 : 6 (1 cement : 6 coarse sand)	Cum.	4534.00	1010.20	4580265.31
8		Half brick masonry in Superstructure , above plinth level upto floor V level, with F.P.S. bricks of class designation 75				
a		Cement mortar 1 : 4 (1 cement : 4 coarse sand)	Sqm.	620.00	3680.30	2281784.39
STONE MASONRY						
9.1		Random Rubble stone masonry for with hard stone in foundation and plinth in Cement Sand mortar above 30 CM thick wall in:				
	9.a	Cement Mortar 1:6 (1-Cement : 6-Sand).	Cum.	2900.00	190.48	552380.95
9.2	a	Providing & Fixing double rebated/paitam stone doors, window in cement sand mortar 1:4 of size 100x75 mm	Rmt.	173.00	36.59	6329.27
FLOORING WORK						
10		P&L CC flooring 1:2:4 (1Cement: 2 Coarse sand : 4 graded nominal size stone aggregate) finished with a floating coat of neat cement including cement slurry (75 MM Thick	Sqm.	721.00	1672.86	1206133.83
11		Providing and fixing 1st quality Vitrified floor tiles in different sizes with water absorption less than 0.08% & conforming to IS : 13755 and IS : 15622, of approved make, in all colour & shades, laid on 20mm thick cement mortar 1:4 jointing with gray cement slurry @ 3.3kg/sqm including grouting the joints with white & matching pigments etc,(including the cost of cement mortar bed 1:4). Size 800 mm x 800 mm	Sqm.	1682.00	0.00	0.00
12A		Providing and fixing Granite stone slab mirror polished and machine edge cut in walls, pillars, steps, Shelves, Sills Counters, Floors etc. laid on 12mm (Av.) thick base of cement mortar 1:3 (1 cement : 3 coarse sand) jointing with white cement mortar 1:2 (1white cement : 2 marble dust) with pigment to match the shade of the marble slab including grinding, rubbing and polishing complete.				
	12.1	Jhunjhunu / Jalore (Red / Choclate Colour)	Sqm	2890.00	0.00	0.00
12B		P&L Marble Makrana slab above 3601 Cm2	Sqm	2474.00	0.00	0.00
12C		P&L Kota Stone slab one side dressed, 25MM Thick	Sqm	2453.00	0.00	0.00
STEEL WORK						
12		Providing and fixing steel glazed doors windows and ventilator shutters of standard rolled steel section joints mitred and welded with steel lugs 13x3mm, 10cm. long embedded in cement concrete block 15x10x10cm. of 1:3:6 (1cement : 3 coarse sand : 6 graded stone aggregate 20mm nominal size) or with wooden plugs and screws or rawl plugs and screws with fixing clips or with bolts and nuts as required including providing and fixing of plain glass panes 4mm thick with copper				
a		Partly fixed and partly openable [fixed area not to exceed 33%]	Sqm.	2925.00	501.86	1467936.80
b		Supplying and fixing fixed wire gauge of 14 mesh x 24 gauge to the metal frame of rolled section by metal beading 20x3mm with suitable screw at not exceeding 150mm distance.	Sqm.	343.00	501.86	172137.55

PRAVEEN KUMAR KUMAWAT
Digitally signed by PRAVEEN KUMAR KUMAWAT
Date: 2025.03.28 17:57:53 +05'30'

Item No.	BSR Item	Description	Unit	Rate	Total Qty.	Amount in Rs
ROOFING						
13	13.1	Grading roof , wall for water proofing treatment with water proffing compound	Sqm.	262.54	0.00	0.00
	13.2	Cement concrete 1:2:4 (1 cement : 2 coarse sand : 4 graded stone aggregate 20 mm nominal size)	Cum	3600.00	280.61	1010204.08
FINISHING WORK						
15		Plaster on new surface on walls in cement sand mortar 1:6 including racking of joint etc. complete fine finish :				
a		20mm thick.	Sqm	134.00	15457.25	2071271.38
16		Royal esign Washable distemper of approved brand and manufacture to give and even shade including all scaffolding. New work (two or more coats) over and including				
a		New work (three or more coats).	Sqm	170.00	0.00	0.00
17		Painting with synthetic enamel paint of approved brand and manufacture to give an even shade : Two or more coats on new work	Sqm	80.00	0.00	0.00
18		Wooden Work-Providing & fixing Flush door, Window frame & wardrobe 19mm thick premium quality board 6mm vaneer. Laminate pasted inside all around including all fittings	Sqm	3228	703.53	2271000.00
					SUM OF ABOVE	31571714.54
A		Add 10% for Cost Index				3157171.45
B		Add 20% for electrification & sanitary Fitting And Other Charges				6314342.91
C		Add 10% for Architect, Supervision And Other miscellineous Charges				3157171.45
					SUB TOTAL	44200400.36
D		KITCHEN/PANTARY-Providing & fixing kitchen with wooden cabinates below & above of counter etc.	LS	800000	1.00	800000.00
					Total Amount	**45000400.36**
					SAY	**4,50,00,000**

Note:- The Estimate is based on construction requirments, luxurious items quality and their specification as told by the owner

PRAVEEN KUMAR KUMAWAT

Digitally signed by PRAVEEN KUMAR KUMAWAT
Date: 2025.03.28 17:58:13 +05'30'

(9(11))

समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

संघ विधान-पत्र

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है व जिसे संक्षिप्ततः "अजाक्"(AJAK) के नाम से भी जाना जावेगा।
2. पंजीकृत कार्यालयः इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 220, श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान होगा।
3. संस्था के उद्देश्यः-इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य है :-

1. भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं कार्यों का व्यापक प्रचार-प्रसार करना।
2. अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी-मामलों के विधि सम्मत निपटाने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही कराने हेतु कानूनी व प्रशासनिक सलाह देना व इसके लिए आवश्यक प्रयास करना।
3. राज्य शासन, शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि की, सेवाओं चाहे ऐसी सेवाएें स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हों, में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाही करना।
4. अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में सेवारत एवं गैर-सेवारत समुदाय के लोगों(नौकरीपेशा लोगों के अलावा) के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना।
5. अनुसूचित जाति समाज में व्याप्त कुरुतियों को दूर करना एवं समाज को शिक्षित एवं जागृत करना।
6. अनुसूचित जाति के बीच एकता, भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हुए उसे सुदृढ करना।
7. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिशिचित कराना एवं समय-समय पर इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्याकंन,अध्ययन कराना तथा ऐसे कानून व नीतियां बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि अनुसूचित जाति के सर्वागिण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हो।
8. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु शोध कराना एवं शोध के प्रयोजनार्थ आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं संकलित करना और शोध के परिणामों को प्रकाशित करना।
9. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, दिशा और कल्याण से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना।
10. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा संबंधी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधिसम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।
11. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्भाग, जिला, तहसील, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शाखाएं गठित करना।
12. उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से सहयोग, चन्दा/अंशदान एकत्रित करना, शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आर्थिक साधन जुटाना/प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियां करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष | महासचिव | कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

2. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :

क.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	प्रो0 श्याम लाल	शिक्षाविद् (सेवानिवृत कुलपति)	742 सी, लेन नं0 6, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड़, सोडाला, जयपुर	अध्यक्ष
2.	श्री आर0पी0 सिंह	आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त)	73, अरविन्द नगर, सीबीआई कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर-17	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
3.	श्री श्रीराम चौरड़िया	आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	11/26, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर	उपाध्यक्ष
4.	श्री बी0 एल0 नवल	आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	72, गिरनार कॉलोनी, साउथ, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर	उपाध्यक्ष
5.	श्री नन्नूमल पहाड़िया	आई.ए.एस.	220,श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर	महासचिव
6.	श्री जी0 एल0 राव	राजकीय सेवा	53/21,सरयु मार्ग, मानसरोवर,जयपुर	सचिव
7.	श्री राकेश रगन	वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)	सी-250, महेश नगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष
8.	डॉ0 शेर सिंह मोरोड़िया	राजकीय सेवा	401, कर्टवानगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर	उपाध्यक्ष
9.	डॉ0 श्रीराम बड़कोदिया	राजकीय सेवा	75, दीप विहार, सिरसी रोड़, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर	सचिव
10.	श्री पन्नालाल मेघवाल	राजकीय सेवा	155, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर	सदस्य
11.	श्री अजय असवाल	राजकीय सेवा	ए-222, अहिल्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर	सचिव

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते है कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

(साक्षी)

1. हस्ताक्षर (Suresh Verma)
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) Manjgfan Jaipur

(साक्षी)

2. हस्ताक्षर (... वर्मा)
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता) सी 408- महेशनगर जय.

अध्यक्ष

महासचिव

कोषाध्यक्ष

1. संस्था का पंजियन क्रमांक 350
2. संस्था का नाम डॉ अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान
3. विरत्त दस्तावेज मूल
4. दस्तावेज की संख्या 11
5. दिनांक पंजियन 6/7/16
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार

Scanned with OKEN Scanner

(9(1))

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान

समिति / सोसाइटी / संस्थान / संस्था

विधान (नियमावली)

1. संस्था का नाम : इस संस्था का नाम डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है व जिसे संक्षिप्ततः "अजाअक" (के नाम से भी जाना जावेगा। C.AJAIC)
2. पंजीकृत कार्यालयः इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय 220, श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर है तथा इसका कार्यक्षेत्र सर्म्पूण राजस्थान होगा।
3. परिभाषाएं : इस विधान में –
   "संस्था" से तात्पर्य डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन, राजस्थान है।
   "विधान" से तात्पर्य इस संस्था के विधान (नियमावली) है।
   "समिति" से तात्पर्य इस संस्था की राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति है।
   "पंजीयक (रजिस्ट्रार)" से तात्पर्य सहकारी संस्थाओं के पंजीयक (रजिस्ट्रार), जयपुर से है।
   "अधिनियम (एक्ट)" से तात्पर्य राजस्थान सहकारी संस्थाओं का पंजीयन अधिनियम, 1958 से है।
4. संस्था के उद्देश्यः इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

I. भारत रत्न डॉ. भीम राव अम्बेडकर के विचारों, दर्शन एवं कार्यों का व्यापक प्रचार–प्रसार करना।

II. अनुसूचित जाति के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा संबंधी–मामलों के विधि सम्मत निपटाने हेतु राज्य व केन्द्र सरकार के संस्थानों से सम्पर्क स्थापित कर समस्याओं के निदान हेतु कार्यवाही कराने हेतु कानूनी व प्रशासनिक सलाह देना व इसके लिए आवश्यक प्रयास करना।

III. राज्य शासन, शासन के सार्वजनिक उपक्रमों, अर्द्ध शासकीय संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों आदि की, सेवाओं चाहे ऐसी सेवाऐं स्थायी अथवा अस्थायी प्रकृति की हों, में आरक्षण के निर्धारित प्रतिशत की पूर्ति की स्थिति पर निगरानी रखते हुए निर्धारित प्रतिशत हेतु संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक कार्यवाही करना।

IV. अनुसूचित जाति के राजकीय सेवा में सेवारत एवं गैर–सेवारत समुदाय के लोगों(नौकरीपेशा लोगों के अलावा) के आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु आवश्यक प्रयास करना ।

V. अनुसूचित जाति समाज में व्याप्त कुरुतियों को दूर करना एवं समाज को शिक्षित एवं जागृत करना।

VI. अनुसूचित जाति के लोगों के बीच एकता, भाईचारा एवं परस्पर सहयोग की भावना पैदा करते हुए उसे सुदृढ़ करना।

VII. अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु बनाई गई विभिन्न नीतियों, योजनाओं व कानूनों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना एवं समय–समय पर इनके उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मूल्याकंन, अध्ययन कराना तथा ऐसे कानून व नीतियां बनाये जाने के लिए जनमत जागृत करना जो कि अनुसूचित जाति के सर्वांगिण विकास, कल्याण हेतु आवश्यक प्रतीत हो।

VIII. अनुसूचित जाति के लोगों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु शोध कराना एवं शोध के प्रयोजनार्थ आवश्यक आंकड़े एवं सूचनाएं संकलित करना और शोध के परिणामों को प्रकाशित करना।

IX. अनुसूचित जाति के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दशा, दिशा और कल्याण से सम्बन्धित पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित करना।

X. भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए प्रावधानित आरक्षण की सुविधा सम्बंधी प्रावधान को स्थाई प्रावधान बनाने के लिए प्रजातांत्रिक एवं विधिसम्मत तरीकों से प्रयत्न करना।

XI. संस्था के उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्भाग, जिला, तहसील, एवं ग्राम पंचायत स्तर पर शाखाएं गठित करना।

XII. उपर्युक्त समस्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न व्यक्तियों, संस्थाओं से सहयोग, चन्दा / अंशदान एकत्रित करना, शासन से अनुदान, ऋण, सहायता प्राप्त करना, विदेशी सहायता प्राप्त करना एवं अन्य आर्थिक साधन जुटाना / प्राप्त करना एवं अन्य आवश्यक अनुषांगिक कार्यवाहियां करना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष   महासचिव   कोषाध्यक्ष

6. हमें निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार है, इस संघ विधान पत्र के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक है:-

कम सं0	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद	हस्ताक्षर
1	प्रो0 श्याम लाल	शिक्षाविद (सेवानिवृत कुलपति)	742 सी, लेन नं0 6, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर	अध्यक्ष	
2	श्री आर0पी0सिंह	आईपीएस (सेवानिवृत)	73, अरविन्द नगर, सीबीआई कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर–17	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	
3	श्री श्रीराम चौरड़िया	आई.ए.एस. (सेवानिवृत)	11/16, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर	उपाध्यक्ष	
4	श्री बी0एल0 नवल	आई.ए.एस. (सेवानिवृत)	72, गिरनार कॉलानी साउथ, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर	उपाध्यक्ष	
5	श्री नन्नूमल पहाड़िया	राजकीय सेवा	220, श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास, जयपुर	महासचिव	
6	श्री जी.एल.राव	राजकीय सेवा	53/21, सरयु मार्ग, मानसरोवर, जयपुर	सचिव	
7	श्री राकेश रमन	वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत)	सी–250, महेश नगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष	
8	डा0शेरसिंह मोरोड़िया	राजकीय सेवा	401, कटेवानगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	उपाध्यक्ष	
9	डा0 श्रीराम बड़कोदिया	राजकीय सेवा	75, दीप विहार, सिरसी रोड, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर		
10	श्री पन्नालाल मेघवाल	राजकीय सेवा	155, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर		
11	श्री अजय असनाल	—"—			

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं एवं उन्होंने हमारे समक्ष अपने–अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं है।

(साक्षी) (साक्षी)

1.हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

2.हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

अध्यक्ष मन्त्री/महासचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

(१८Д)

संस्था का संगठनात्मक ढांचा–

संस्था की निम्नानुसार शाखाएं स्थापित की जायेगी –

I. राज्य स्तर पर
II. जिला स्तर पर
III. तहसील स्तर पर
IV. ग्राम पंचायत स्तर पर

प्रत्येक स्तर पर राज्य कार्यकारी समिति के समान एक कार्यकारी समिति का गठन किया जावेगा। संस्था की जिला, तहसील एवं ग्राम स्तर की शाखाओं पर राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का सम्पूर्ण नियंत्रण होगा। तहसील, एवं ग्राम स्तर की शाखाएं, जिला शाखा के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगी। संस्था की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति अपनी बैठक में बहुमत से प्रस्ताव पारित करके जिला शाखाओं के स्वरूप के संबंध में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगी।

6. सदस्यता :

(अ) सदस्यों की योग्यताः संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति में निम्नलिखित समस्त योग्यताएं होना आवश्यक है:–

(क) जो अनुसूचित जाति का सेवारत, अथवा सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी हो,

(ख) जो राजस्थान में पदस्थापित राजस्थान सरकार अथवा भारत सरकार के अधीन अधिकारी/कर्मचारी हो अथवा किसी शासकीय नियंत्रणाधीन सार्वजनिक उपक्रम का अथवा अर्द्ध–शासकीय संस्था का अथवा किसी स्थानीय निकाय का अथवा किसी सहकारी संस्था या सहकारी बैंक का भोगी अधिकारी या कर्मचारी हो।

(ग) जिसने समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो,

(घ)जो संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता की अनुपालना करता हो,

(ब)संस्था के निम्नलिखित श्रेणी के सदस्य होगें :–

(1) संरक्षक सदस्यः संस्था को जो सदस्य अंशदान/शुल्क के रूप में न्यूनतम रूपये 5100/–एक मुश्त देगा, वह संस्था का संरक्षक सदस्य होगा।

(2) साधारण सदस्यः जो सदस्य संस्था को सदस्यता शुल्क के रूप में 1000/– देगा, वह संस्था का साधारण सदस्य होगा।

(3) मानद सदस्यः संस्था की प्रबंधकारिणी किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को जो कि समाज के सम्पूर्ण विकास की दिशा में सकारात्मक योगदान दे रहे हो, उस समय के लिए जो भी वह उचित समझे मानद सदस्य बना सकती है। ऐसे सदस्य को आवश्यकतानुसार संस्था द्वारा आमंत्रित किया जा सकेगा परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(4) वार्षिक शुल्क : प्रत्येक संरक्षक एवं साधारण सदस्य को प्रतिवर्ष न्यूनतम 500/– वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। राज्य कार्यकारी समिति वार्षिक शुल्क की राशि को समय–समय पर बढ़ा सकेगी और इसे जमा कराने की प्रक्रिया/विधि तय कर सकेगी।

(5)प्रत्येक सदस्य को अनुशासित रहते हुए संस्था का कार्य करना है, जिससे बाहरी वातावरण में संगठन की छवि धूमिल न हो बल्कि अपनी समस्याओं को शांति व भाईचारा में रहकर अनुशासित ढंग से प्रस्तुत करनी है। संस्था के विरूद्ध सदस्यों दवारा अनुशासनहीन तरीके से पेश आने पर प्राथमिक सदस्यता से निलम्बित/निष्काषित करने हेतुराज्य स्तरीय कार्यकारी समिति का अध्यक्षअधिकृत होगा।

(स)सदस्यता की प्राप्तिः प्रत्येक व्यक्ति को जो कि संस्था सदस्य बनने का इच्छुक हो, उसे लिखित रूप में आवेदन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करना होगा जिसे अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

सदस्यता की समाप्तिः संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति मे समाप्त हो जाएगी:-

1. मृत्यु हो जाने पर। 2.पागल होने पर। 3 संस्था को देय वार्षिक शुल्क की राशि तीन वर्ष तक जमा न करने पर। 4. त्याग पत्र देने एवं उसके स्वीकार हो जाने पर। 5. किसी राजनैतिक दल की सदस्यता ग्रहण करने पर। 6. ग्रामीण/शहरी निकायों, विधानसभा एवं संसद के सदस्य के रूप में नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने एवं चुनाव लड़ने पर। 7. किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता के दुराचरण का सिद्ध दोष होने पर और, 8. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर। 9. संस्था द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किये जाने पर।

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के निर्णय अनुसार संस्था की सदस्यता से निष्कासित कर दिये जाने पर। ऐसा निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित मे देनी होगी।

7. **सदस्यता शुल्क का वितरणः** जिला शाखा से प्राप्त सदस्यता शुल्क की पूर्ण राशि राज्य कार्यालय में जमा करायी जावेगी। राज्य कार्यालय द्वारा उपर्युक्त राशि में से आवश्यकतानुसार राशि को निर्वाचन एवं अन्य खर्चो की पूर्ति हेतु जिला शाखा को प्रदान की जाएगी। राज्य कार्यालय के द्वारा संकलित राशि का 25 प्रतिशत जिला शाखा के कार्यालयों की पूर्ति हेतु उनके बैंक खाते में जिलाध्यक्ष को प्रदान की जाएगी। उक्त राशि के प्रतिशत में संशोधन करने का अधिकार राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति को होगा।

8. **सदस्य पंजिका :** संस्था के कार्यालय में सदस्य पंजिका रखी जायेगी तथा उसमें निम्नांकित ब्यौरे दर्ज किये जायेगें – प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा विभाग का नाम, सम्पर्क नम्बर, ई–मेल आईडी, सदस्यता प्राप्ति एवं समाप्ति दिनांक तथा रसीद नम्बर आदि।

9. (अ) साधारण सभाः साधारण सभा मे संरक्षक एवं साधारण सदस्य समावेशित होगें। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार होगी परन्तु दो वर्ष में बैठक एक बार अनिवार्य होगी। **संस्था के गठन के पश्चात एक वर्ष की अवधि में राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों का निर्वाचन कराया जाना आवश्यक होगा।**

पश्चातवर्ती राज्य कार्यकारी समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होगा जिसे विशेष परिस्थितियों में राज्य कार्यकारीसमिति द्वारा बहुमत से अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा लेकिन इस बढ़ी हुई अवधि में कार्यकारी समिति के चुनाव कराना अनिवार्य होगा।इस बढ़ी हुई अवधि में राज्य कार्यकारी समिति के चुनाव नहीं कराने की दशा में राज्य कार्यकारी समिति स्वतः भंग समझी जावेगी। बैठक का माह, तारीख, स्थान व समय राज्य कार्यकारी समिति निश्चित करेगी, जिसकी सूचना 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उपस्थिति सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी।

संस्था की साधारण सभा की प्रथम बैठक संस्था के पंजीयन की दिनांक से छः माह के भीतर बुलाई जाएगी।

(ब)राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक प्रत्येक 6 माह में होगी तथा बैठक का एजेण्डा तथा सूचना प्रत्येक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारी समिति के प्रत्येक सदस्य को भेजी जानी आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/3 सदस्यों का होगा। यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित कर उपस्थिति सदस्यों की उपस्थिति में उसी स्थान पर पुनः की जा सकेगी।

(स) विशेषः यदि कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन किया जाने पर उनके दर्शाये गये विषय पर विचार करने के लिए सभा की बैठक बुलाई जावेगी। विशेष संकल्प पारित होने पर संकल्प की प्रति, पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 14 दिन के भीतर भेजी जावेगी। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी रखने तथा समिति को परामर्श देने का अधिकार होगा।

अध्यक्ष   महासचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

कार्यकारी समिति के अधिकार एवं कर्तव्यः
(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक वितरण, प्रगति प्रगतिवेदन स्वीकृत करना व आगामी वर्ष की कार्ययोजना की स्वीकृति देना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व संपति की उचित व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो कार्यकारी समिति दवारा प्रस्तुत हों।
(च) संस्था दवारा संचालित संस्थाओं के आय–व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।

(अ) राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति :
इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन होगा–

1. अध्यक्ष– एक
2. वरिष्ठ उपाध्यक्ष – एक
3. उपाध्यक्ष– सात
4. महासचिव–एक
5. सचिव–सात
6. संयुक्त सचिव–सात
7. कोषाध्यक्ष–एक
8. प्रवक्ता – एक
9. सदस्य–45 (जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य सहित)

राज्यस्तरीय कार्यकारी समिति में अध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, महासचिव एवं कोषाध्यक्ष के पद निर्वाचन से भरे जावेंगें तथा शेष पदों पर अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्यों के परामर्श से मनोनयन किया जाएगा। निर्वाचन हेतु स्थान का चयन राज्य कार्यकारी समिति द्वारा सुविधानुसार निश्चित किया जावेगा।

(ब) जिला स्तरीय कार्यकारी समितिः
संबंधित जिले के सदस्यों जिनके नाम उस जिले की पंजीयन रजिस्टर में दर्ज हो, में से, इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को निर्वाचन/मनोनयन किया जायेगा–

1. अध्यक्ष–01
2. उपाध्यक्ष–01
3. महासचिव–01
4. सचिव–03 (अधिकतम – तहसीलों की संख्या तक)
5. संयुक्त सचिव–3 (अधिकतम– तहसीलों की संख्या तक)
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य–30, (तहसील स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य सहित)

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्वाचित सदस्यों के परामर्श से संस्था की जिला इकाई के जिलाध्यक्षों एवं महासचिवों का मनोनयन किया जाएगा तथा जिलाध्यक्ष द्वारा अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(स) तहसील स्तरीय कार्यकारी समितिः
इस समिति में निम्नांकित पदाधिकारियों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन होगा–

1. अध्यक्ष–01
2. उपाध्यक्ष–01
3. महासचिव–01
4. सचिव–03
5. संयुक्त सचिव–03
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य–20, प्रत्येक ग्राम स्तरीय समिति का अध्यक्ष पदेन सदस्य

संस्था की जिला इकाई के जिलाध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से तहसील इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा और संस्था की तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

पंचायत स्तरीय कार्यकारी समिति:

1. अध्यक्ष–01,
2. उपाध्यक्ष–1
3. महासचिव–01
4. सचिव–1
5. संयुक्त सचिव–1
6. कोषाध्यक्ष–01
7. प्रवक्ता–01
8. सदस्य– 10

संस्था की तहसील इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से ग्राम पंचायत इकाई के अध्यक्ष एवं महासचिव का मनोनयन किया जावेगा और संस्था की ग्राम पंचायत स्तरीय इकाई के अध्यक्ष द्वारा महासचिव के परामर्श से अन्य पदाधिकारियों का मनोनयन किया जावेगा।

(य) निर्वाचन प्रक्रिया :

I. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति संस्था/समितियों के विभिन्न पदों पर पदाधिकारियों के निर्वाचन की प्रक्रिया निश्चित करेगी।

II. राज्य कार्यकारी समिति सम्पूर्ण राज्य में, जिला स्तरीय इकाई सम्पर्ण जिले में,तहसील स्तरीय इकाई सम्पर्ण तहसील में और ग्राम पंचायत स्तरीय इकाई सम्पूर्ण पंचायत क्षेत्र में किसी भी स्थान पर मनोनयन की कार्यवाही करने हेतु अधिकृत होगी।

III. जिला स्तरीय, तहसील स्तरीय एवं ग्राम पंचायत स्तरीय सभी इकाईयों का कार्यकाल राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित/मनोनीत पदाधिकारी का पद रिक्त होने पर अध्यक्ष द्वारा शेष अवधि के लिए मनोनयन किया जावेगा।

IV. राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के पदाधिकारियों द्वारा प्रथम बैठक से पूर्व निर्धारित प्रपत्र में शपथ ग्रहण की जावेगी।

V. नियमित रूप से प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क जमा नहीं कराने वाले सदस्य को न तो मताधिकार प्राप्त होगा और न ही वह किसी पदाधिकारी के पद पर निर्वाचन/मनोनयन हेतु पात्र होगा।

11. विभागीय प्रकोष्ठों का गठन:

1. **राज्य स्तरीय विभागीय प्रकोष्ठ:** राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकोष्ठों का गठन किया जावेगा जिसमें मुख्यतः सफाई कर्मचारी प्रकोष्ठ, चिकित्सा प्रकोष्ठ, अभियंता प्रकोष्ठ, राजस्व प्रकोष्ठ, वाणिज्यिक कर प्रकोष्ठ, विधिक प्रकोष्ठ, इत्यादि होंगे। राज्य स्तर पर एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों में विभागीय प्रकोष्ठों का गठन राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की अनुमति से मनोनयन किया जा सकेगा।
2. **जिला/स्तरीय विभागीय समितियां:** जिला स्तरीय विभागीय समितियों में जिला कार्यकारिणी द्वारा पदाधिकारियों का मनोनयन किया जाएगा।

12. कार्यकारी समिति अधिकार एवं कर्तव्य:

1. पिछले वर्ष का आय–व्यय का अंकेक्षित लेखा, प्रगति प्रतिवेदन के साथ साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
2. समिति एवं इसके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना। संस्था की चल–अचल सम्पत्ति के उपर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।
3. कर्मचारियों की संविदा पर नियुक्ति करना व वेतन निर्धारित करना।
4. अन्य आवश्यक कार्य करना जो समय–समय पर साधारण सभा द्वारा सौंपे जावें।
5. संस्था की चल–अचल सम्पति की सुरक्षा एवं रखरखाव किया जाना।
6. संस्था की किसी भी स्थावर सम्पति का विक्रय या अन्यथा अर्जन या अंतरण करने के लिए राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
7. विशेष बैठक आमंत्रित कर संस्था के विधान में संशोधन किए जाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर साधारण सभा की विशेष बैठक में उसकी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेगी। साधारण सभा द्वारा संशोधन पारित होने पर उक्त पारित प्रस्ताव पारित को पंजीयक, सहकारी संस्था को अनुमोदन हेतु भेजा जावेगा।
8. समय–समय पर विभिन्न विषयों पर कार्य करने के लिए उपसमितियों/प्रकोष्ठों का गठन करना।
9. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी आवश्यक कार्यवाही करना।

अध्यक्ष   महासचिव   कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

(9(1))

13. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष साधारण सभा तथा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा, तथा महासचिव द्वारा साधारण सभा तथा राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत, मत बराबर आने पर निर्णायक होगा। अध्यक्ष संस्था के उपाध्यक्षों, महासचिवों, सचिवों, संयुक्त सचिवों के बीच कार्य एवं क्षेत्र का विभाजन कर सकेगा। अध्यक्ष संस्था के कार्यों हेतु 25000/– रूपये तक व्यय करने हेतु अधिकृत होगा। संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

14. वरिष्ठ उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वरिष्ठ उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता की जाएगी। उपाध्यक्ष द्वारा, अध्यक्ष द्वारा अधिकृत किये गये मामलों में, अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग किया जा सकेगा।

15. उपाध्यक्षके अधिकार एवं कर्तव्य:

राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा नामीत किये जाने पर उनके कर्तव्यों का संपादन कर सकेगा।

16. महासचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

I. अध्यक्ष के निर्देश अनुसार साधारण तथा कार्यकारी समिति की बैठक समय–समय पर बुलाना कार्यवाही को रिकार्ड करना व रिकार्ड रखना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हों को बैठक में प्रस्तुत करना।

II. समिति का आय व्यय का लेखा–जोखा तैयार करना एवं उसका अंकेक्षण कराना, उससे प्रतिवेदन तैयार करके साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।

III. महासचिव को समिति के उद्देश्यों हेतु प्रायोजित किसी कार्य के लिए समय में 10000/– रूपये तक व्यय करने का अधिकार होगा। संविदा कर्मचारियों के बिल प्रमाणित करना।

IV. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति/प्राप्ति हेतु विधिक एवं प्रशासनिक कार्यवाही करना एवं सम्बंधित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

V. अध्यक्ष द्वारा समय–समय पर सौंपे गए कार्य निष्पादित करना।

17. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

महासचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करना।

18. संयुक्त सचिव का अधिकार एवं कर्तव्य:

महासचिव एवं सचिव के कार्यों में सहयोग करना एवं अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वाह करना।

1. पंजीयन क्रमांक ....
2. संस्था का नाम ....
3. किस्त दस्तावेज ....
4. दस्तावेज की संख्या ....
5. दिनांक पंजियन ....
6. हस्ताक्षर रजिस्ट्रार ....

19. कोषाध्यक्ष का अधिकारएवं कर्तव्य:

संस्था की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना, संस्था का वित्तीय प्रबंधन करना एवं वित्तीय लेखों का अंकेक्षण करवाना।दैनिक कार्यो हेतु कोषाध्यक्ष अधिकतम 5000/–पांच हजार रूपये व्यय करना, तथा अध्यक्ष, महासचिव या कार्यकारिणी द्वारा विभिन्न कार्यो हेतु स्वीकृत व्यय करना।

20. अन्य संस्थाओं से सम्बद्धता:

अनुसूचित जाति के लोगों के हितार्थ कार्य करने वाली किसी भी संस्था द्वारा आवेदन करने पर इस राज्य कार्यकारी समिति के अनुमोदन द्वारा संस्था से सम्बद्ध किया जा सकेगा। ऐसी संस्था से रू 1000/– का सम्बद्धता शुल्क वसुल किया जाएगा। सम्बद्धता प्राप्त करने वाली संस्था को इस संस्था के उद्देश्यों को स्वीकार करना होगा। इस संस्था की राज्य कार्यकारी समिति द्वारा किसी भी संस्था की सम्बद्धता को, बिना कोई कारण बताए, निरस्त किया जा सकेगा।

21. बैंक खाता:

संस्था की समस्त निधि किसी अधिसूचित बैंक या सहकारी बैंक में रहेगी। धन का आहरण अध्यक्ष या महासचिव/महासचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।

22. पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी:

अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक सभा होने के दिनांक से 14 दिन से भीतर निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति को सूची फाइल की जाएगी, तथा धारा 28 के अंतर्गत संस्था की परीक्षित लेखा, भेजी जायेगी।

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

1. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :-

क्र.स.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1०	प्रो0 श्याम लाल	शिक्षाविद् (सेवानिवृत कुलपति)	742 सी, लेन नं0 6, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, जयपुर	अध्यक्ष
2०	श्री आर0पी0 सिंह	आई.पी.एस. (सेवानिवृत)	73, अरविन्द नगर, सीबीआई कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर-17	वरिष्ठ उपाध्यक्ष
3०	श्री श्रीराम चौरड़िया	आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	11/26, कावेरी पथ, मानसरोवर, जयपुर	उपाध्यक्ष
4०	श्री बी0 एल0 नवल	आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)	72, गिरनार कॉलोनी, साउथ, गांधी पथ, वैशाली नगर, जयपुर	उपाध्यक्ष
5०	श्री नन्नूमल पहाड़िया	आई.ए.एस.	220,श्री गोपाल नगर, महेश नगर के पास जयपुर	महासचिव
6०	श्री जी0 एल0 राव	राजकीय सेवा	53/21,सरयु मार्ग, मानसरोवर,जयपुर	सचिव
7०	श्री राकेश रमन	वरिष्ठ लेखाधिकारी (सेवानिवृत्त)	सी-250, महेश नगर, जयपुर	कोषाध्यक्ष
8०	डॉ0 शेर सिंह मोरोड़िया	राजकीय सेवा	401, कटेवानगर, न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर	उपाध्यक्ष
9०	डॉ0 श्रीराम बड़कोदिया	राजकीय सेवा	75, दीप विहार, सिरसी रोड़, पांच्यावाला, वैशाली नगर, जयपुर	सचिव
10०	श्री पन्नालाल मेघवाल	राजकीय सेवा	155, पृथ्वीराज नगर, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर	सदस्य
11०	श्री अजय असवाल	राजकीय सेवा	ए-222, अहिल्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर	सचिव

अध्यक्ष महासचिव कोषाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanne

बिन्दु - 13

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी – कर्मचारी एसोसिएशन, अजाक की वर्तमान राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति की सूची :–

क्र.	नाम	पद एवं विभाग	पद नाम	मोबाइल नंबर
1	श्री श्रीराम चोरड़िया	IAS (Retd.)	अध्यक्ष	9460440204
2	श्री शीशराम चावला	GM. SC/ST FDC Raj.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	9414460787
3	श्री पूरण मल	Joint Registrar, Cooperative Deptt. (Retd.)	महासचिव	9414457107
4	श्री विनोद कुमार गहनोलिया	Chief Manager, SBI (Retd.)	कोषाध्यक्ष	9414149816
5	श्री चान्दमल वर्मा	RAS	अतिरिक्त महासचिव	9636400950
6	श्री जयकुमार सिंह	उप निदेशक, (मा.सं.) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि0	विधि सचिव	9166610300
7	श्री जी.एल.राव	शासन सचिव एवं मुख्य अभियंता, PWD (सेनि)	उपाध्यक्ष	9414118798
8	श्रीमती रजनी बृजेश	पूर्व न्यायिक सेवा अधिकारी	उपाध्यक्ष	9414430656
9	श्री घनश्याम बोयत	व्याख्याता, शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष	9828067125
10	श्री बसन्त रोयल	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	उपाध्यक्ष	7597367857
11	श्री मांगीलाल	RPS	उपाध्यक्ष	9413377107
12	श्री राजकुमार पन्नू	Superintendent of customs & CGST	उपाध्यक्ष	9414175877
13	श्री गोपीचन्द वर्मा	EXEN, PHED	उपाध्यक्ष	9413368800
14	श्री ओ.पी. बुनकर	RAS	उपाध्यक्ष	9414254639
15	श्री विनोद कुमार	अतिरिक्त आयुक्त परिवहन (सेनि)	उपाध्यक्ष	9414037212
16	श्री वेद प्रकाश वर्मा	नर्सिंग ऑफिसर, SMS Hospital	उपाध्यक्ष	9680544320
17	श्री वी.सी. बुनकर	RAcS	सचिव	9799396313
18	डॉ. सुनील गोठवाल	सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा शिक्षा	सचिव	8290094910
19	श्री हरफुल पंकज	RAS	सचिव	9950907722
20	श्रीमती रेखा चावला	सीनियर नर्सिंग, ऑफिसर	सचिव	9414338122
21	श्री लक्ष्मीनारायण भंवरीया	वरिष्ठ वास्तुविक, PWD	सचिव	9413676925
22	श्री अमृत अटोरिया	DSO (Rtd)	सचिव	9413559001
23	श्री सुरेश कुमार खटीक	RAS	सचिव	9460726872
24	श्री गोवर्धन लाल देवत्त	ACBEO	सचिव	9413900634
25	डॉ. शिवरतन नायक	BSNL (Rtd)	सचिव	9414426726

फ्लिन्दु 13

पिंदु 13

26	श्री मांगीलाल भूतिया	सहायक लेखा अधिकारी, ICDS	सचिव	9414413473
27	श्री डी.सी. वर्मा	अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण	संयुक्त सचिव	9828654052
28	श्री अनीता मोर्य	प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव	9414835579
29	श्री श्रवण कुमार वर्मा	ACE, नगर निगम हैरिटेज	संयुक्त सचिव	9414355173
30	श्री सीताराम स्वरूप	Joint Director	संयुक्त सचिव	9414938448
31	श्री परसराम भाटिया	राजस्व विभाग (सेनि)	संयुक्त सचिव	9414368954
32	श्री ललित जरेवाल	हेड मास्टर, शिक्षा विभाग (सेनि)	संयुक्त सचिव	9413948826
33	श्रीमती सुमन कांटीवाल	अध्यापिका, शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव	7014805065
34	श्री जगन्नाथ तिरदिया	प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा (सेनि)	संयुक्त सचिव	9414844582
35	श्री सीताराम नारनोलिया	अध्यापक, शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव	9928171118
36	श्री मोहन लाल अर्जुन	व्याख्याता, शिक्षा विभाग	संयुक्त सचिव	9588044378
37	श्री सुभाष घारू	डॉक्टर, वेटनरी	संयुक्त सचिव	8005571948
38	श्री रामनिवास दहिया	पुस्तकालयाध्यक्ष KV (सेनि)	संयुक्त सचिव	9414810062
39	डॉ. प्रियंका लकवाल	CDPO, ICDS	सदस्य	7733843870
40	श्री दल्ला भाई राव	प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग (सेनि)	सदस्य	8058325753
41	श्री गोपीराम	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, AG (सेनि)	सदस्य	9460384511
42	श्री गोविन्द राम भाटी	AAO, महिला एवं बाल विकास	सदस्य	9413205681
43	श्री जिले सिंह	सर्किट हाउस मैंनेजर, GAD (सेनि)	सदस्य	9460791444
44	श्री मातादीन साभरिया	BSNL (सेनि)	सदस्य	9461974447
45	श्रीमती राजबाला	C.I. राजस्थान पुलिस	सदस्य	8005978873
46	श्री प्रवीण कुमार	EXEN, PHED	सदस्य	9461095710
47	श्री जगन जाटव	ATO, लेखा सेवा (सेनि)	सदस्य	9828301159
48	श्री जगदीश प्रसाद केरवाल	स्टेशन अधीक्षक, उ.प. रेलवे (सेनि)	सदस्य	9694065967
49	श्री मोहन लाल वर्मा	अधीक्षक, कस्टम (सेनि)	प्रवक्ता	9414230625
50	श्री प्रहलाद राम बोस	हैड कॉनिस्टेबल, राज. पुलिस	प्रवक्ता	9829279474

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया
I.A.S. (Retd.)
अध्यक्ष
9460440204

पूरण मल
Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)
महासचिव
9414457107

शीशराम चावला
Joint Director, ICDS
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9414 460787

विनोद कुमार गहनोलिया
Chief Manager SBI (Retd.)
कोषाध्यक्ष
9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 29 / 2022 / 2570 दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में **अतिरिक्त महासचिव** के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री चान्दमल वर्मा	RAS	9636400950

उक्त पदाधिकारी संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री / श्रीमती..।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन,
(AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया
I.A.S. (Retd.)
अध्यक्ष
9460440204

पूरण मल
Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)
महासचिव
9414457107

शीशराम चावला
Joint Director ICDS
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9414 460787

विनोद कुमार गहनोलिया
Chief Manager SBI (Retd.)
कोषाध्यक्ष
9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 29 / 2022 / 2574 दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री डी.सी. वर्मा	अतिरिक्त निदेशक समाज कल्याण	9828654052
2.	श्री अनीता मोर्य	प्रिंसिपल, शिक्षा विभाग	9414835579
3.	श्री श्रवण कुमार वर्मा	ACE, नगर निगम हैरिटेज	9414355173
4.	श्री सीताराम स्वरूप	Joint Director	9414938448
5.	श्री परसराम भाटिया	राजस्व विभाग (सेनि)	9414368954
6	श्री ललित जरेवाल	हेड मास्टर, शिक्षा विभाग (सेनि)	9413948826
7	श्रीमती सुमन कांटीवाल	अध्यापिका, शिक्षा विभाग	7014805065
8	श्री जगन्नाथ तिरदिया	प्राचार्य, कॉलेज शिक्षा (सेनि)	9414844582
9	श्री सीताराम नारनोलिया	अध्यापक, शिक्षा विभाग	9928171118
10	श्री मोहन लाल अर्जुन	व्याख्याता, शिक्षा विभाग	9588044378
11	श्री सुभाष घारू	डॉक्टर, वेटनरी	8005571948
12	श्री रामनिवास दहिया	पुस्तकालयाध्यक्ष KV (सेनि)	9414810062

उक्त पदाधिकारीगण संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री / श्रीमती...।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया I.A.S. (Retd.) अध्यक्ष 9460440204	पूरण मल Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd) महासचिव 9414457107	शीशराम चावला Joint Director, ICDS वरिष्ठ उपाध्यक्ष 9414 460787	विनोद कुमार गहनोलिया Chief Manager SBI (Retd.) कोषाध्यक्ष 9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 23 / 2022 / 2572 दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री जी.एल.राव	शासन सचिव एवं मुख्य अभियंता, PWD (सेनि)	9414118798
2.	श्रीमती रजनी बृजेश	पूर्व न्यायिक सेवा अधिकारी	9414430656
3.	श्री घनश्याम बोयत	व्याख्याता, शिक्षा विभाग	9828067125
4.	श्री बसन्त रोयल	सीनियर नर्सिंग ऑफिसर	7597367857
5.	श्री मांगीलाल	RPS	9413377107
6.	श्री राजकुमार पन्नू	Superintendent of customs & CGST	9414175877
7	श्री गोपीचन्द वर्मा	EXEN, PHED	9413368800
8	श्री ओ.पी. बुनकर	RAS	9414254639
9	श्री विनोद कुमार	अतिरिक्त आयुक्त परिवहन (सेनि)	9414037212
10	श्री वेद प्रकाश वर्मा	नर्सिंग ऑफिसर, SMS Hospital	9680544320

उक्त पदाधिकारीगण संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री / श्रीमती...।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया
I.A.S. (Retd.)
अध्यक्ष
9460440204

पूरण मल
Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)
महासचिव
9414457107

शीशराम चावला
Joint Director, ICDS
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9414 460787

विनोद कुमार गहनोलिया
Chief Manager SBI (Retd.)
कोषाध्यक्ष
9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 21 / 2022 / 257)

दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्य को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में विधि सचिव के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री जयकुमार सिंह	उप निदेशक, (मा.सं.) राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लि0	9166610300

उक्त पदाधिकारी संस्था के विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री...।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

CS Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया
I.A.S. (Retd.)
अध्यक्ष
9460440204

पूरण मल
Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)
महासचिव
9414457107

शीशराम चावला
Joint Director, ICDS
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9414 460787

विनोद कुमार गहनोलिया
Chief Manager SBI (Retd.)
कोषाध्यक्ष
9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 29 / 2022 / 2573

दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में सचिव के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	श्री वी.सी. बुनकर	RAcS	9799396313
2.	डॉ. सुनील गोठवाल	सहायक प्रोफेसर, चिकित्सा शिक्षा	8290094910
3.	श्री हरफुल पंकज	RAS	9950907722
4.	श्रीमती रेखा चावला	सीनियर नर्सिंग, ऑफिसर	9414338122
5.	श्री लक्ष्मीनारायण भंवरीया	वरिष्ठ वास्तुविक, PWD	9413676925
6.	श्री अमृत अटोरिया	DSO (Rtd)	9413559001
7	श्री सुरेश कुमार खटीक	RAS	9460726872
8	श्री गोवर्धन लाल देवत्त	ACBEO	9413900634
9	डॉ. शिवरतन नायक	BSNL (Rtd)	9414426726
10	श्री मांगीलाल भूतिया	सहायक लेखा अधिकारी, ICDS	9414413473

उक्त पदाधिकारीगण संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री / श्रीमती...।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया	पूरण मल	शीशराम चावला	विनोद कुमार गहनोलिया
I.A.S. (Retd.)	Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)	Joint Director, ICDS वरिष्ठ उपनिदेशक	Chief Manager SBI (Retd.)
अध्यक्ष	महासचिव		कोषाध्यक्ष
9460440204	9414457107	9414460787	9414 149816

क्रमांक : एफ/अजाक/29../2022/2575 दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में सदस्य के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1.	डॉ. प्रियंका लकवाल	CDPO, ICDS	7733843870
2.	श्री दल्ला भाई राव	प्रधानाध्यापक, शिक्षा विभाग (सेनि)	8058325753
3.	श्री गोपीराम	वरिष्ठ लेखा परीक्षा अधिकारी, AG (सेनि)	9460384511
4.	श्री गोविन्द राम भाटी	AAO, महिला एवं बाल विकास	9413205681
5.	श्री जिले सिंह	सर्किट हाउस मैंनेजर, GAD (सेनि)	9460791444
6.	श्री मातादीन साभरिया	BSNL (सेनि)	9461974447
7.	श्रीमती राजबाला	C.I. राजस्थान पुलिस	8005978873
8.	श्री प्रवीण कुमार	EXEN, PHED	9461095710
9.	श्री जगन जाटव	ATO, लेखा सेवा (सेनि)	9828301159
10.	श्री जगदीश प्रसाद केरवाल	स्टेशन अधीक्षक, उ.प. रेलवे (सेनि)	9694065967

उक्त पदाधिकारीगण संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित : श्री जिले सिंह | सर्किट हाउस मैंनेजर, GAD (सेनि) | 9460791444

1. पदाधिकारी श्री/श्रीमती..।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन,
(AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

कार्यालय चुनाव अधिकारी डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति
अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर।

पता – सी–174, भूरा पटेल मार्ग, अयोध्या नगर, गाँधी पथ वेस्ट, जयपुर।

क्रमांक : 6

दिनांक : 17.12.2022

चुनाव परिणाम

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान के राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के आज दिनांक 17 दिसम्बर, 2022 को चुनाव में निम्नांकित पदों पर प्रत्येक पद हेतु एक ही आवेदन प्राप्त होने के कारण, निम्नांकित प्रत्याशियों को पदवार निर्वविरोध निर्वाचित घोषित किया जाता है :–

क्र. सं.	पद नाम	निर्वाचित प्रत्याशीगण
1.	अध्यक्ष	श्री श्रीराम चोरड़िया
2.	वरिष्ठ उपाध्यक्ष	श्री शीशराम चावला
3.	महासचिव	श्री पूरण मल
4.	कोषाध्यक्ष	श्री विनोद कुमार गहनोलिया

R.M. Aswal

आर. एम. असवाल
(चुनाव अधिकारी, अजाक)
9414056460

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. उपरोक्त निर्वाचित पदाधिकारी। (श्री ....)
2. रजिस्ट्रार, संस्थाएं, जयपुर शहर।
3. समस्त जिलाध्यक्ष अजाक राजस्थान।
4. अजाक वेबसाइट।
5. समस्त अजाक व्हाट्सएप ग्रुप्स।
6. सूचना पट्ट।

R.M. Aswal

(चुनाव अधिकारी, अजाक)

CS Scanned with CamScanner

प्रतिलिपि प्रेषित :–

रजि. नं. 350 जयपुर 2016-17

EDUCATE ★ UNITE ★ SERVE ★ AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान

E-mail : ajakrajasthan@gmail.com • Website : www.ajakrajasthan.org • Twitter@ajakrajasthan1

श्रीराम चोरड़िया
I.A.S. (Retd.)
अध्यक्ष
9460440204

पूरण मल
Joint Registrar Cooperative Deptt. (Retd)
महासचिव
9414457107

शीशराम चावला
Joint Director, ICDS
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
9414 460787

विनोद कुमार गहनोलिया
Chief Manager SBI (Retd.)
कोषाध्यक्ष
9414 149816

क्रमांक : एफ / अजाक / 22 / 2022 / 2576 　　　　　　　　　　दिनांक : 24.12.2022

कार्यालय आदेश

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी–कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक) राजस्थान, जयपुर के विधान के अनुसार एसोसिएशन की राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति में निम्नलिखित सदस्यों को दो वर्ष की अवधि अथवा अग्रिम आदेश तक जो भी पहले हो, राज्य स्तरीय कार्यकारिणी में **प्रवक्ता** के पद पर एतद् द्वारा मनोनीत किया जाता है :–

क्र. सं.	नाम	पद एवं विभाग	मोबाइल नंबर
1	श्री मोहन लाल वर्मा	अधीक्षक, कस्टम (सेनि)	9414230625
2	श्री प्रहलाद राम बोस	हैड कॉनिस्टेबल, राज. पुलिस	9829279474

उक्त पदाधिकारी संस्था के, विधान में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्य करेगें।

(श्रीराम चोरड़िया)
अध्यक्ष, अजाक

प्रतिलिपि प्रेषित :–

1. पदाधिकारी श्री / श्रीमती...।
2. समस्त जिलाध्यक्ष, अजाक राजस्थान।
3. अजाक वेबसाइट।
4. अजाक सूचना पट्ट।

अध्यक्ष, अजाक

Scanned with CamScanner

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी कर्मचारी एसोसिएशन (अजाक.) द्वारा आयोजित

+ विशाल नि:शुल्क चिकित्सा शिविर +

हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, डायबिटिज (शुगर)
गठिया, थाईराइड, मोटापा, मौसमी बीमारियाँ

क्या आपके परिवार में कोई सदस्य उपरोक्त बीमारियों से ग्रस्त है
तो शिविर में पधारकर अवश्य लाभ उठावें (5.2)

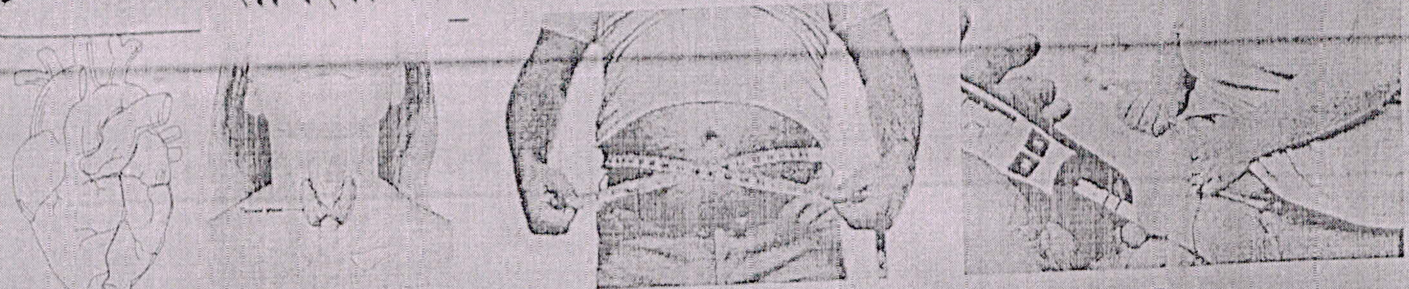

डॉ. सुनील महावर
MBBS, MD (Medicine)
सह आचार्य (मेडीसन)
सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जयपुर

डॉ. प्रियंका
MBBS, DGO
स्त्री रोग विशेषज्ञ
महिला चिकित्सालय, सांगानेरी गेट, जयपुर

डॉ. त्रिशला सिंह
MBBS
फिजिशियन

डॉ. राकेश
सीनियर त्वचा रोग विशेषज्ञ

डॉ. सुनील पुनिया
MBBS, MD

स्थान : बाल्मीकी बस्ती, रामदेवजी का मंदिर इन्द्रा नगर कच्ची बस्ती, झालाना बाईजी की कोठी, जयपुर	रविवार दिनांक 17 फरवरी समय : दोप.2 से सायं 5 बजे तक

सम्पर्क सूत्र : छोटू जी (सरपंच) 7412887909, लालचंद अजमेरा जी 9829627483

शिविर में दी जाने वाली सुविधाएँ

नि:शुल्क जाँचे-BP, ब्लड शुगर।
HbA1c की जाँच बाजार मूल्य (500/-रू.) शिविर में नि:शुल्क।

असुविधा से बचने के लिए सम्पर्क करें : 7412887909

मरीज अपनी पुरानी जाँचे साथ में लाये

Scanned with OKEN Scanner

EDUCATE • UNITE • SERVE • AGITATE

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन (AJAK) राजस्थान

नि:शुल्क चिकित्सा शिविर

दिनांक रविवार 6 मई 2018 समय दोपहर 2 से सायं 5 बजे तक

विशेषज्ञ

डॉ. सुनील कुमार	डॉ. एच.एल. धवल	डॉ. दिनेश भारती	डॉ. प्रियंका	डॉ. हेमन्त
सह. आचार्य (एम.डी.) मेडिसिन, सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, जयपुर	M.S. (Ortho.) सहायक आचार्य, एस.एम.एस. मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, जयपुर	एम.एस. (सर्जरी) सहायक आचार्य, सवाईमानसिंह मेडिकल कॉलेज व चिकित्सालय, जयपुर	M.B.B.S., D.G.O. चिकित्सक महिला चिकित्सालय, जयपुर	BDS, MDS सह आचार्य महात्मा गाँधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जयपुर

यदि आप निम्न में से किसी लक्षणों से पीड़ित है तो आप इस शिविर का लाभ उठा सकते है :-

हृदय रोग एवं सामान्य रोग

- सीने में दर्द, भारीपन या जलन
- घबराहट व बैचेनी रहना, श्वांस फूलना
- दिल के वाल्व की खराबी
- हाई ब्लडप्रेशर
- हृदय या शरीर की किसी भी नाड़ी में रुकावट हो
- धड़कन कम या ज्यादा, चक्कर आना या बेहोशी
- शरीर या हाथ पैरों पर सूजन होना
- एन्जियोग्राफी या एन्जियो प्लास्टी की जरूरत होने पर।

एलर्जी एवं अस्थमा

- लम्बे समय से खांसी के साथ वजन कम होना, बुखार आना, भूख न लगना, खांसी में खून आना।
- खांसी के साथ सांस फूलना, बैठे-बैठे अचानक सांस फूलना, सुबह-सुबह खांसी के साथ सांस फूलना, रात में सोने के बाद खांसी चलने के साथ दम फूलना एवं छाती में जकड़न होना, सांस के साथ सीटियों की आवाज आना।
- फेफड़ों में सिकुड़न होना, थोड़ी दूर चलने पर अत्यधिक सांस चलना।
- फेफड़ों में संक्रमण होना। (निमोनिया)

दन्त रोग

- दर्द वाले दांत की जड़ों का ईलाज Single / Multi Stage R.C.T.
- काले पीले दाँतों को सफेद करना
- बिना दर्द के दाँत निकालना।
- हड्डी में फंसे हुए दांत निकालना।
- टूटे हुए दांत पर खोल चढ़ाना
- नई बत्तिसी लगाना
- कीड़े लगे हुए दाँतों को दाँत जैसे मसाले से भरना

स्त्री रोग

- अनियमित महावारी
- अत्यधिक रक्तस्त्राव
- बच्चेदानी में गांठ (रसौली)
- सफेद पानी की समस्यां
- पेट, कमर व नलों में दर्द होना
- स्तन में गांठ
- गर्भपात की सुविधा।

हड्डी रोग

- घुटने का लचक खाना।
- घुटने की गद्दी, वाशर का फटना
- जोड़ों का घिस जाना
- जोड़ प्रत्यारोपण की जरूरत होना।
- टखने एवं पंजे का किसी भी प्रकार का दर्द
- जोड़ प्रत्यारोपण

शिविर में उपलब्ध नि:शुल्क जाँचे

- शिविर में स्पाईरोमीटर कम्प्यूटर द्वारा 500 रूपये वाली जाँच नि:शुल्क की जायेगी। नि:शुल्क लिपिड प्रोफाईल
- नि:शुल्क ब्लड शुगर
- नि:शुल्क ई.सी.जी.
- नि:शुल्क ब्लड प्रेशर

स्थान :- यूथ हॉस्टल जनपथ रोड़, जयपुर

रजिस्ट्रेशन हेतु सम्पर्क करें :- 9829016535

नोट : शिविर में मरीज अपनी पुरानी जाँचे साथ लावे

सौजन्य से

श्री लालाराम डंगारिया (सरपंच) मो. 9001068319	श्री नरेन्द्र चांवरिया मो. 9351320994	श्री रामाकान्त सारसर मो. 9636653329[1]	श्री गोपाल खांडीया मो. 9799357821	श्री सुग्रीव (सरपंच) मो. 9636543997	श्री दीपक मो. 8976782604	श्री चौथमल मो. 992529236

सम्पर्क सूत्र

7728888830, 9413368800, 9414606155, 9413676925, 9829688869, 8290380713

Scanned with OKEN Scanne

मान्यवर,

डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन

(AJAK) राजस्थान

के तत्वाधान में

विश्व रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर

की 128 वीं जयन्ती

के उपलक्ष्य में आयोजित किये जा रहे

स्नेह-मिलन समारोह एवं भीमभोज में आप सादर आमंत्रित हैं।

कार्यक्रम

दिनांक : 14 अप्रैल, 2019

समय : 6.00 से 10.00 P.M.

स्थान : यूथ हॉस्टल
विधानसभा के पास
जयपुर

भीम केन्डल मार्च
भीम वन्दना
बर्थ् डे केक, आतिशबाजी
भीम क्विज
भीम गायन
भीम डिनर

निवेदक

Team AJAK Rajasthan

सम्पर्क सूत्र

प्रो. श्याम लाल 98871 94929	बी.एल.नवल 98290 15580	श्रीराम चोरड़िया 94604 40204	राकेश रमन 94146 06155
सत्यवीर सिंह 77288 88830	एन.एम. पहाड़िया 94140 33400	एल.एन. भँवरिया 94136 76925	जी.एल.वर्मा 98296 88869
टीकम 'अनजाना' 94140 77899	सुनील भाटी 94133 49447	सुरेश नवल 99293 33880	बी.एस.गोठवाल 94142 78455
	वी.सी. बुनकर 97993 96313	गोपी चन्द वर्मा 941433 68800	

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार के साथ निजी सहभागिता में राज्य का एक मात्र 300 बेड का अस्पताल

मेट्रो मास

हार्ट केयर एण्ड मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, जयपुर

शिप्रा पथ, मानसरोवर, जयपुर,
फोन: 0141-6661234

एवं

मानव सेवा मिशन राजस्थान

के संयुक्त तत्वाधान में

विशाल नि:शुल्क मल्टिस्पेशियलिटी चिकित्सा परामर्श शिविर

नि:शुल्क जाँचें: ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ई.सी.जी.

स्थान : जमना भवन C-87 एवं C-14, कृष्णा विहार (वाल्मीकि बस्ती), पांच्यावाला, सिरसी रोड
दिनांक : 20 अगस्त 2017 (रविवार), समय : दोपहर 1 बजे से सांय 4:30 बजे

जनरल फिजीशियन

- खांसी, जुखाम, बुखार
- मधुमेह, उच्च रक्तचाम
- उल्टी, दस्त
- चक्कर आना
- टाईफाइड, मलेरिया

दन्तरोग विशेषज्ञ

- टेढ़े-मेड़े दांतों का ईलाज
- दांतो में दर्द रहना
- दांतों से खून, मवाद बहना
- दांतों में चीस चलना
- दांतों में कीड़ें लग जाना

स्त्री रोग विशेषज्ञ, श्वसन रोग (अस्थमा) विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ
नाक कान गला रोग विशेषज्ञ एवं न्यूरो रोग विशेषज्ञ

मेट्रो मास अस्पताल के लिए सम्पर्क करें - श्री सत्यनारायण शर्मा 722805553

सम्पर्क सूत्र : 77288-88830, 82396-11158, 98291-85835, 99824-89797

सहयोग - डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी-कर्मचारी एसोसिएशन, (AJAK) राजस्थान
एवं वी जी एस फाउंडेशन, जयपुर

विशेष आभार - श्री पूरण मल, श्री बनवारी लाल जाजोदर, श्री सुरेश गोलेछा, श्री भाग चंद एवं समस्त वाल्मीकि बस्ती

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

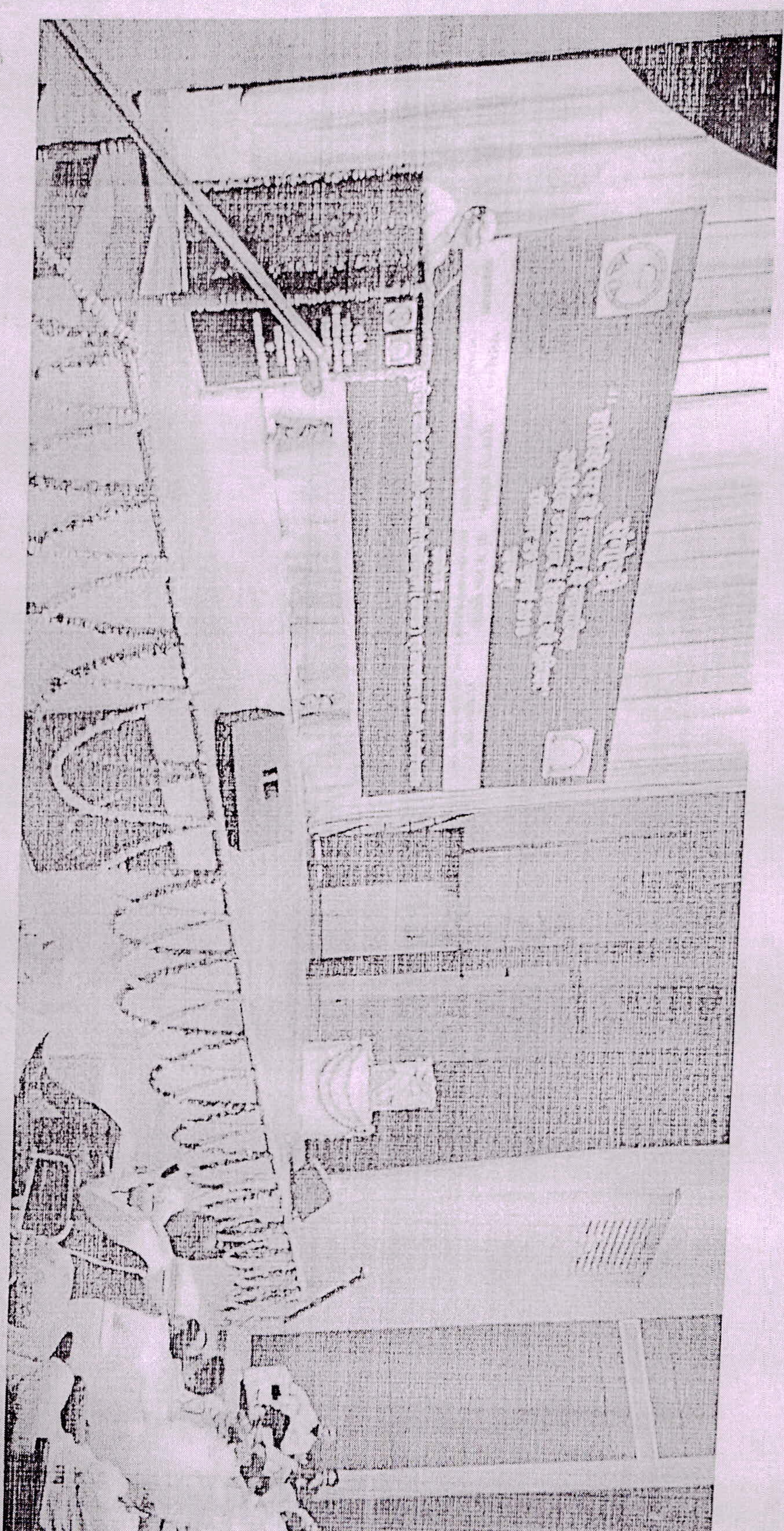

Scanned with OKEN Scanne

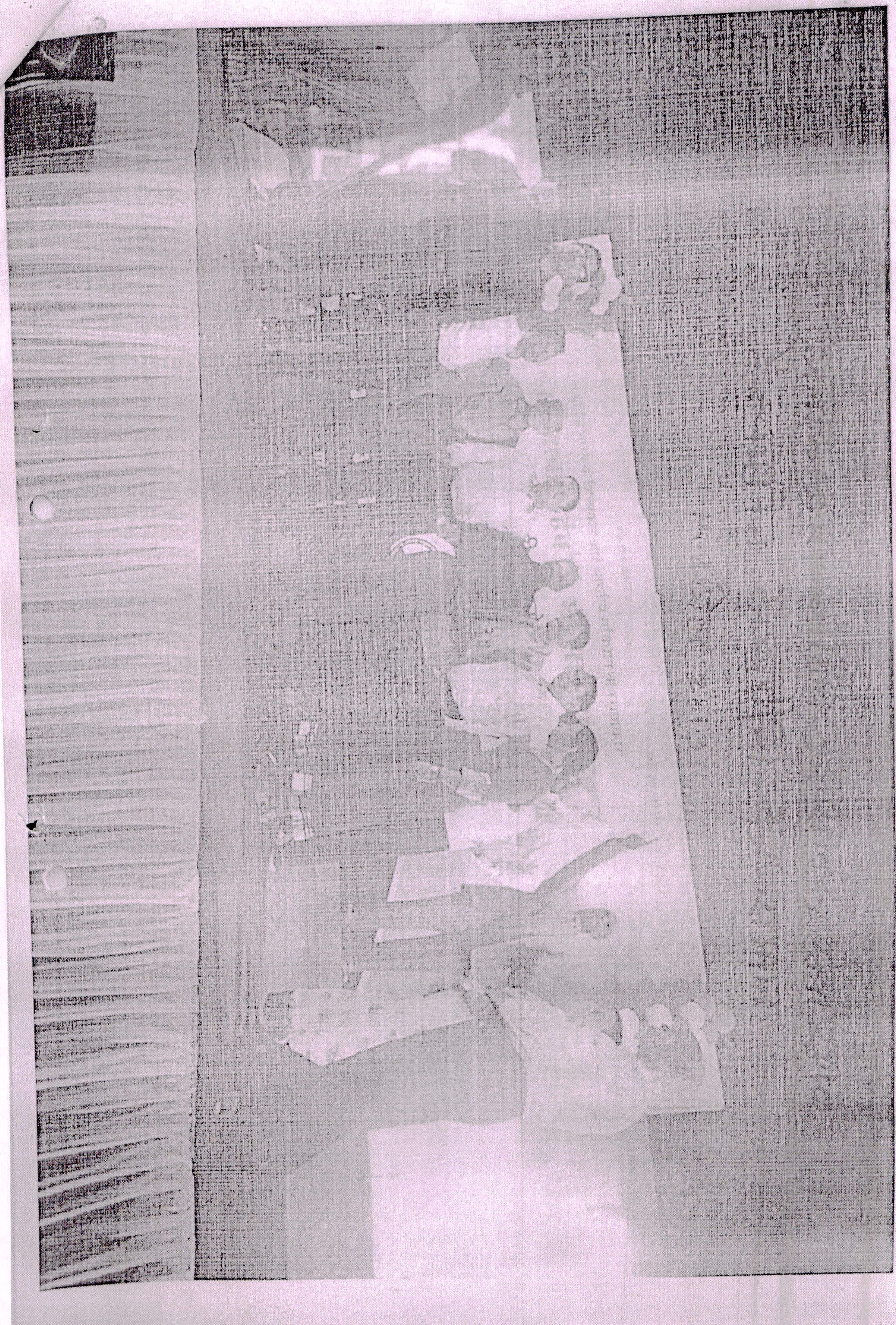

Scanned with OKEN Scanne

Relief to Victims

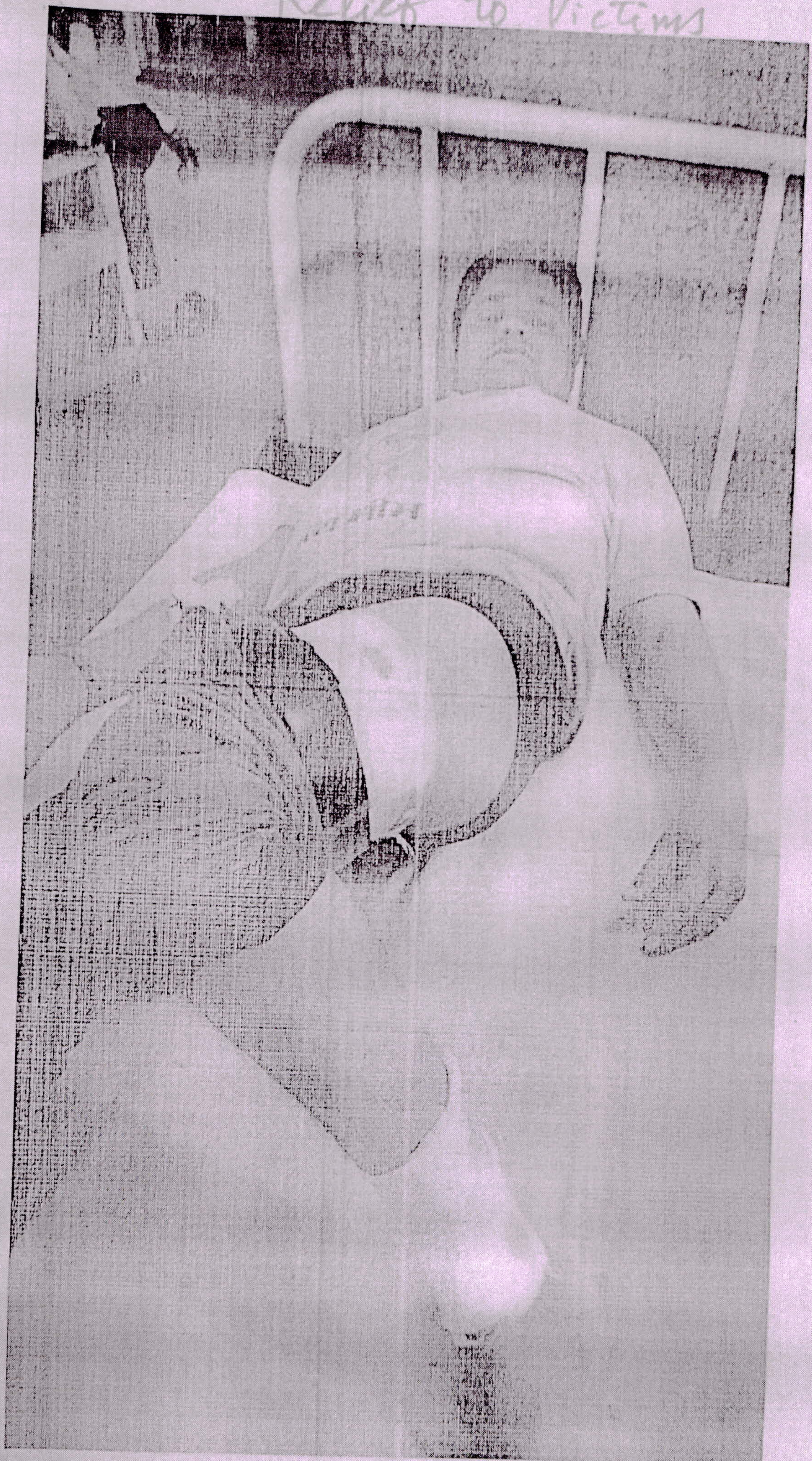

Scanned with OKEN Scanne

Relief to Victims

Scanned with OKEN Scanne

Relief to Victims

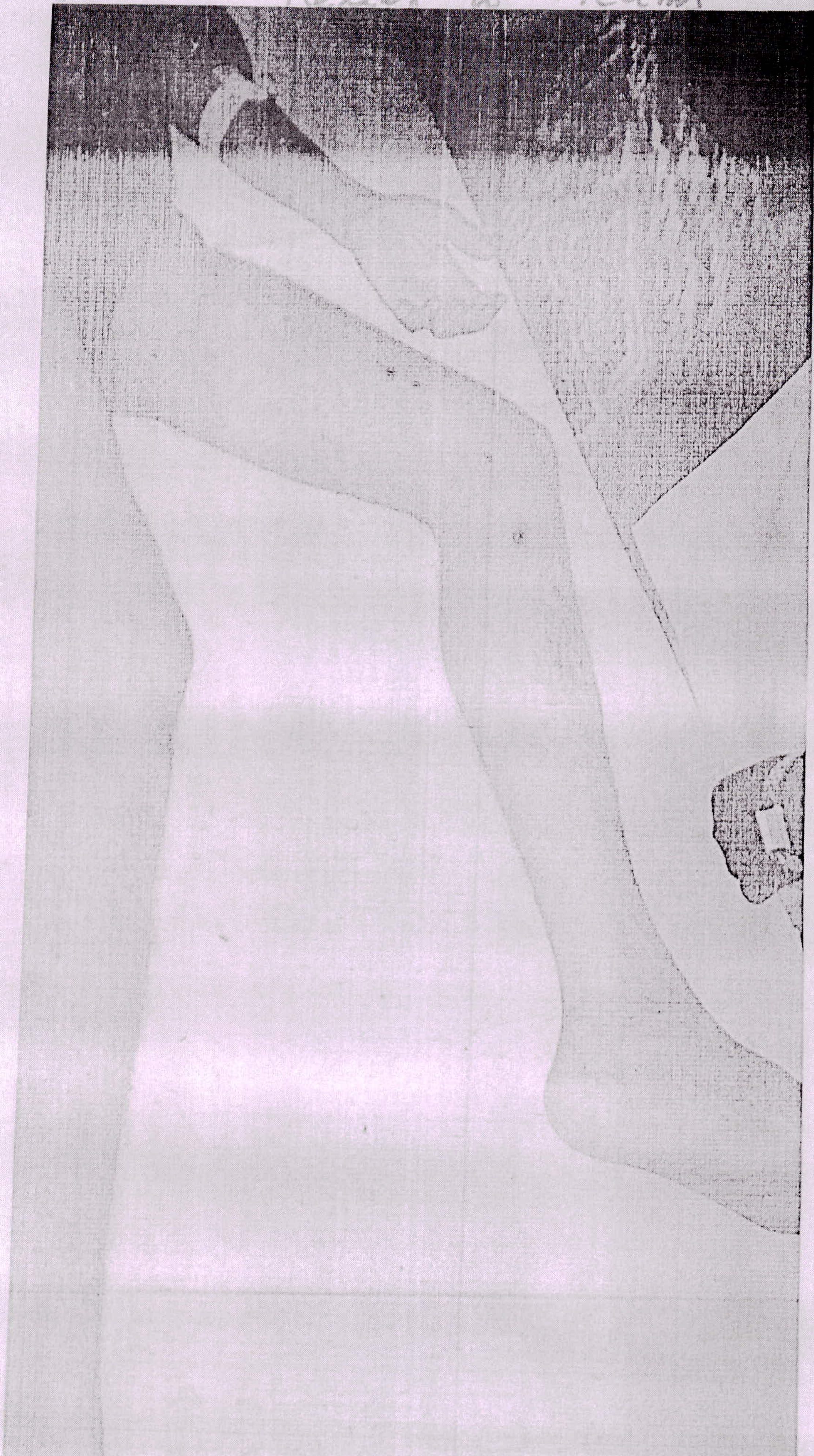

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

Relief to Victims

Scanned with OKEN Scanne

Scanned with OKEN Scanne

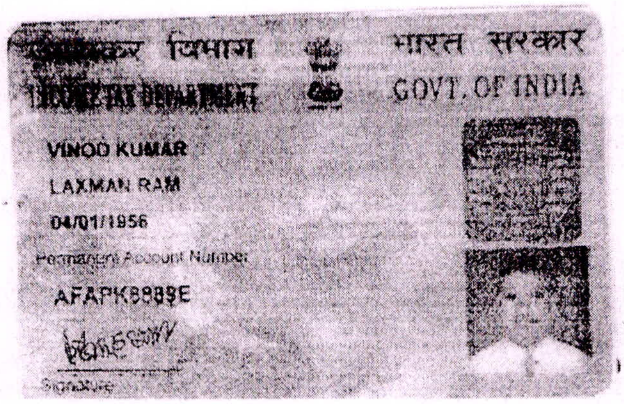

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT
भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

VINOD KUMAR
LAXMAN RAM
04/01/1956
Permanent Account Number
AFAPK8889E
Signature

Scanned with OKEN Scanne

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

विनोद कुमार
Vinod Kumar

जन्म वर्ष / Year of Birth : 1956
पुरुष / Male

9157 2069 0308

आधार – आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
UNIQUE IDENTIFICATION AUTHORITY OF INDIA

पता : S/O: लक्ष्मण राम, ई-277, बैंक कॉलोनी, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के पास, मुरलीपुरा स्कीम, मुरलीपुरा, जयपुर, विश्वकर्मा इंडस्ट्रियल एरिया, राजस्थान, 302013

Address S/O: Laxman Ram, E-277, Bank Colony, near goverment senior secondry school, Murlipura scheme, MURLIPURA, Jaipur, Vishwakarma Industrial Area, Rajasthan, 302013

1947
1800 180 1947
help@uidai.gov.in
www.uidai.gov.in
P.O. Box No. 1947, Bengaluru-560 001

Scanned with OKEN Scanne

आयकर विभाग

INCOME TAX DEPARTMENT

भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN

06/07/2016

Permanent Account Number

AACAD5614Q

02062016

Scanned with OKEN Scanne

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

Assessment Year 2021-22

PAN	AACAD5614Q		
Name	DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN		
Address	220 , SHRI GOPAL NAGAR , NEAR MAHESH NAGAR , JAIPUR , 27-Rajasthan , 91-India , 302017		
Status	AOP/BOI	Form Number	ITR-7
Filed u/s	139(1) - Return filed on or before due date	e-Filing Acknowledgement Number	336310570120322

Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	0
	Total Income		0
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	0
	Net tax payable	4	0
	Interest and Fee Payable	5	0
	Total tax, interest and Fee payable	6	0
	Taxes Paid	7	26,288
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	(-) 26,290
Distribution Tax details	Dividend Tax Payable	9	0
	Interest Payable	10	0
	Total Dividend tax and interest payable	11	0
	Taxes Paid	12	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	14	0
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0
	Interest payable u/s 115TE	16	0
	Additional Tax and interest payable	17	0
	Tax and interest paid	18	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0

This return has been digitally signed by SHRI RAM CHORDIYA in the capacity of having PAN ABQPC7871G from IP address 10.1.36.245 on 12-03-2022 18:28:37

DSC Sl. No. & Issuer 5797396 & 46379057660531846 83CN=PantaSign CA 2014,OU=Certifying Authority,O=Pantagon Sign Securities Pvt. Ltd., C=IN

System Generated

Barcode/QR Code

AACAD5614Q07336310570120322 34CD3D03DDA397D1B84989B5935AAFA20B5676C2

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU

Scanned with OKEN Scanne

AME OF ASSESSEE	: DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN	
PAN	: AACAD5614Q	
OFFICE ADDRESS	: 220, SHRI GOPAL NAGAR, NEAR MAHESH NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302017	ASSESSMENT YEAR : 2021 - 2022
STATUS	: AOP (TRUST)	
SUB-STATUS	: PUBLIC CHARITABLE TRUST	
REG. NO. U/S 12A/12AA	: 08/2016-17/S-532/12AA	
CLAIMING EXEMPTION UNDER	: Section 11	FINANCIAL YEAR : 2020 - 2021
WARD NO	: ITO WD 1(1), JPR	
D.O.I.	: 06/07/2016	
EMAIL ADDRESS	: ajakrajasthan@gmail.com	
NATURE OF BUSINESS	: TRUST	
METHOD OF ACCOUNTING	: CASH	
NAME OF BANK	: STATE BANK OF INDIA	
IFSC CODE	: SBIN0017635	
ADDRESS	: MAHESH NAGAR JAIPUR	
ACCOUNT NO.	: 35915177277	
RETURN	: ORIGINAL (FILING DATE : 12/03/2022 & NO. : 336310570120322)	

COMPUTATION OF TOTAL INCOME

			NIL
INCOME NOT FORMING PART OF APPLICATION OF INCOME			
VOLUNTARY CONTRIBUTIONS OTHER THAN CORPUS FUND		3627412	
AGGREGATE OF INCOME REFERRED TO IN SECTIONS 11, 12 AND SECTIONS 10(23C)(IV), 10(23C)(V), 10(23C)(VI) AND 10(23C)(VIA) DERIVED EXCLUDING VOLUNTARY CONTRIBUTION		379578	
INCOME BEFORE APPLICATION OF INCOME		4006990	
LESS : APPLICATION OF INCOME			
AMOUNT APPLIED TO CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES - REVENUE ACCOUNT	1312293		
AMOUNT DEEMED TO APPLIED DURING THE PREVIOUS YEAR CLAUSE (2) OF EXPLANATION TO SEC. 11(1)	2093649		
AMOUNT ACCUMULATED OR SET APART UPTO 15%	601048	4006990	NIL
GROSS TOTAL INCOME			NIL
TOTAL INCOME			NIL

COMPUTATION OF TAX ON TOTAL INCOME

TAX ON RS. NIL		NIL
LESS TAX DEDUCTED AT SOURCE		
SECTION 194A: OTHER INTEREST	26288	26288
		-26288
REFUNDABLE		(26288)
TAX ROUNDED OFF U/S 288B		(26290)

Details of Tax Deducted at Source on Income other than Salary

Sl. No.	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Deductor	Unique TDS Certificate No.	Name and address of the Deductor	Amount paid /credited	Date of Payment /Credit	Total tax deducted	Amount claimed for this year	B/F C/F

Scanned with OKEN Scanne

4A : Other Interest

1.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	13542	31/03/2021	1016	1016	
2.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	23441	31/03/2021	1759	1759	
3.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	27750	31/03/2021	2082	2082	
4.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	110998	31/03/2021	8325	8325	
5.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	110998	31/03/2021	8325	8325	
6.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	7749	13/06/2020	582	582	
7.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	18655	14/05/2020	1866	1866	
8.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	4664	14/05/2020	467	467	
9.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	18655	14/05/2020	1866	1866	
			Grand Total	336452		26288	26288	

Scanned with OKEN Scanne

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]
(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

Assessment Year
2021-22

PAN	AACAD5614Q		
Name	DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN		
Address	220 , SHRI GOPAL NAGAR , NEAR MAHESH NAGAR , JAIPUR , 27-Rajasthan , 91-India , 302017		
Status	AOP/BOI	Form Number	ITR-7
Filed u/s	139(1) - Return filed on or before due date	e-Filing Acknowledgement Number	336310570120322

Section	Item	No.	Amount
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	0
	Total Income		0
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	0
	Net tax payable	4	0
	Interest and Fee Payable	5	0
	Total tax, interest and Fee payable	6	0
	Taxes Paid	7	26,288
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	(-) 26,290
Distribution Tax details	Dividend Tax Payable	9	0
	Interest Payable	10	0
	Total Dividend tax and interest payable	11	0
	Taxes Paid	12	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	14	0
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0
	Interest payable u/s 115TE	16	0
	Additional Tax and interest payable	17	0
	Tax and interest paid	18	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0

This return has been digitally signed by SHRI RAM CHORDIYA in the capacity of having PAN ABQPC7871G from IP address 10.1.36.245 on 12-03-2022 18:28:37
DSC Sl. No. & Issuer 5797396 & 4637905766053184683CN=PantaSign CA 2014,OU=Certifying Authority,O=Pantagon Sign Securities Pvt. Ltd., C=IN

System Generated
Barcode/QR Code

AACAD5614Q0733631057012032234CD3D03DDA397D1B84989B5935AAFA20B5676C2

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU

Scanned with OKEN Scanner

NAME OF ASSESSEE	: DR AMBEDKAR ANUSUCHIT JATI ADHIKARI KARMCHARI ASSOCIATION RAJASTHAN			
PAN	: AACAD5614Q			
OFFICE ADDRESS	: 220, SHRI GOPAL NAGAR, NEAR MAHESH NAGAR, JAIPUR, RAJASTHAN-302017			
STATUS	: AOP (TRUST)	ASSESSMENT YEAR	:	2021 - 2022
SUB-STATUS	: PUBLIC CHARITABLE TRUST			
REG. NO. U/S 12A/12AA	: 08/2016-17/S-532/12AA			
CLAIMING EXEMPTION UNDER	: Section 11			
WARD NO	: ITO WD 1(1), JPR	FINANCIAL YEAR	:	2020 - 2021
D.O.I.	: 06/07/2016			
EMAIL ADDRESS	: ajakrajasthan@gmail.com			
NATURE OF BUSINESS	: TRUST			
METHOD OF ACCOUNTING	: CASH			
NAME OF BANK	: STATE BANK OF INDIA			
IFSC CODE	: SBIN0017635			
ADDRESS	: MAHESH NAGAR JAIPUR			
ACCOUNT NO.	: 35915177277			
RETURN	: ORIGINAL (FILING DATE : 12/03/2022 & NO. : 336310570120322)			

COMPUTATION OF TOTAL INCOME

INCOME NOT FORMING PART OF APPLICATION OF INCOME			NIL
VOLUNTARY CONTRIBUTIONS OTHER THAN CORPUS FUND		3627412	
AGGREGATE OF INCOME REFERRED TO IN SECTIONS 11, 12 AND SECTIONS 10(23C)(IV), 10(23C)(V), 10(23C)(VI) AND 10(23C)(VIA) DERIVED EXCLUDING VOLUNTARY CONTRIBUTION		379578	
INCOME BEFORE APPLICATION OF INCOME		4006990	
LESS : APPLICATION OF INCOME			
AMOUNT APPLIED TO CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES - REVENUE ACCOUNT	1312293		
AMOUNT DEEMED TO APPLIED DURING THE PREVIOUS YEAR CLAUSE (2) OF EXPLANATION TO SEC. 11(1)	2093649		
AMOUNT ACCUMULATED OR SET APART UPTO 15%	601048	4006990	NIL
GROSS TOTAL INCOME			NIL
TOTAL INCOME			NIL

COMPUTATION OF TAX ON TOTAL INCOME

TAX ON RS. NIL		NIL
LESS TAX DEDUCTED AT SOURCE		
SECTION 194A: OTHER INTEREST	26288	26288
		-26288
REFUNDABLE		(26288)
TAX ROUNDED OFF U/S 288B		(26290)

Details of Tax Deducted at Source on Income other than Salary

Sl. No.	Tax Deduction Account Number (TAN) of the Deductor	Unique TDS Certificate No.	Name and address of the Deductor	Amount paid /credited	Date of Payment /Credit	Total tax deducted	Amount claimed for this year	B/F C/F

Scanned with OKEN Scanne

194A : Other Interest

1.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	13542	31/03/2021	1016	1016	
2.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	23441	31/03/2021	1759	1759	
3.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	27750	31/03/2021	2082	2082	
4.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	110998	31/03/2021	8325	8325	
5.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	110998	31/03/2021	8325	8325	
6.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	7749	13/06/2020	582	582	
7.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	18655	14/05/2020	1866	1866	
8.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	4664	14/05/2020	467	467	
9.	MUMS86179C		STATE BANK OF INDIA MUMBAI, MUMBAI, MAHARASHTRA-400001	18655	14/05/2020	1866	1866	
			Grand Total	336452		26288	26288	

Scanned with OKEN Scanne

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषयः डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी/ कर्मचारीगण को छात्रावास निर्माण हेतु 5000 वर्ग मीटर भूमि आंवटन करने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के क्रम में लेख है कि श्री पूरणमल, अधिकृत व्यक्ति, सी– 179, भूरा पटेल मार्ग, आयोध्या नगर– वेस्ट, जयपुर को डॉ. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अधिकारी/ कर्मचारीगण के लिये छात्रावास निर्माण हेतु भूमि आवंटन के क्रम में जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने बाबत् प्रकोष्ठ की मूल पत्रावली इस यू.ओ.नोट के साथ संलग्न कर आप को भिजवाई जा रही है।

कृपया प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन पत्र को जविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करें।

अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)

सिस्टम एनालिस्ट
क्रमांकः जविप्रा/अआ/एलपीसी/2025
दिनांकः–

Signature valid
Digitally signed by Rakesh Sharma
Designation : Additional Commissioner
Date: 2025.08.18 11:27:17 IST
Reason: Approved

रामकिशोर व्यास भवनए इन्दिरा सर्किलए जवाहर लाल नेहरु मार्गए जयपुर 302004
दूरभाष 91.0141.2570122 रु ईपीबीएक्स ... एक्सटेंशन ... 91.141.2574555
ई-मेल : { aclpc.jda@rajasthan.gove.in }

RajKaj Ref No.: 17190679

eSign 1.0